



गतिविधियों पर रिपोर्ट

(01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक)



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण



TRAI

क्रियाकलापों की रिपोर्ट

(1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक)

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002

टेलीफोन: =91+11-23236308

फैक्स न. :+91-11-23213294

ई-मेल : ap@trai.gov.in

वेबसाइट://www.trai.gov.in

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. उपभोक्ता हित	1-8
– सेवा गुणवत्ता	1
– मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी	3
– उपभोक्ता संरक्षण एवं सशक्तिकरण	3
– खुदरा एवं थोक मूल्यसूची	3-6
– उपभोक्ता समर्थन एवं शिक्षा	6-7
– अनापेक्षित वाणिज्यिक सम्प्रेषण	7
– इन्टरक्नेक्शन	7-8
2. अनुशासन	9-21
– स्पैक्ट्रम	9-12
– इन्टरक्नेक्शन	12-13
– दूरसंचार सेवाओं में सुधार	13-17
– लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क	17-20
– फ्री डाटा	20
– प्रसारण क्षेत्र	21
3. अन्य मुद्दे	22-45
– विनियम	22
– निदेश	22-25
– परामर्श	25-33
– पूर्व-परामर्श	34
– तृतीय पक्षकार एप्स/वेबसाइटों के माध्यम से टैरिफ रिचार्ज/ भुगतानों पर दिशानिर्देश	34-35
– आधार आधारित ईकेवाईसी सेवा	35
– अन्य मामले (दूरसंचार क्षेत्र)	35-38
– अन्य मामले (प्रसारण क्षेत्र)	38-42
– अनुलग्नक	42-45

प्राक्कथन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दूरसंचार एवं प्रसारण सेक्टरों के विनियमन के लिए सांविधिक निकाय के रूप में की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का निर्माण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (वर्ष 2000 में यथा संशोधित) के अनुसरण में किया गया था। इस अधिनियम तथा सरकार द्वारा जारी दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को नए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के प्रवेश तथा लाइसेंस के लिए नियम एवं शर्तों की अनुशंसा करने तथा लाइसेंस के अनुपालन का सुनिश्चय करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करने तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने, मूल्य सूची नीति के लिए विवरण तैयार करने के अधिकार दिए जाने के साथ साथ यह अनुशंसा करने की भी अपेक्षा की गई है कि पे एवं अन्य टेलीविजन चैनलों के संबंध में अधिकतम विज्ञापन समय के विनियमन के लिए किन नियमों तथा शर्तों तथा निर्धारित मानदंडों के तहत उपभोक्ताओं को टेलीविजन एड्रेसएबल प्रणाली उपलब्ध करवाई जा सकती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में दूरसंचार तथा केबल मूल्यसूची नीति, अंतःसंबंधन के वाणिज्यिक एवं तकनीकी घटक, जनता को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के चयन की स्वतंत्रता एवं सरल प्राप्ति, बाजार विकास के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविधतापूर्ण नेटवर्क संरचना से संबंधित मामले भी शामिल हैं। उपभोक्ता हित संवर्धन के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाताओं के मध्य पारस्परिक सम्पर्क के लिए मंच तथा प्राधिकरण एवं उपभोक्ता संगठनों के मध्य सम्मुख सुनवाई के मंचों के विकास को भी सुसाध्य बनाया जाता है।

वर्ष 2016 के दौरान दूरसंचार एवं प्रसारण सेक्टर के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा अनेकों उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। दूरसंचार के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं की गुणवत्ता के मामले पर कार्य किया गया तथा मोबाइल बैंकिंग लेनदेन एवं यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सेवाओं के लिए संशोधित फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। मोबाइल बैंकिंग में और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग में यूएसएसडी के प्रयोग के लिए अधिकतम मूल्यसूची को कम करके भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार मूल्यसूची आदेश (टीटीओ) में संशोधन भी किए गए। इस अवधि के दौरान सरकार को अन्य मामलों के साथ साथ 'विभिन्न ब्रांडों के स्पैक्ट्रम के मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य 'आई पी इंटरफेस पर अंतःसंबंधन' तथा ऑडियो कांफ्रेंस/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सेवाओं' के संबंध में अनुशंसाएं की गई हैं।

प्रसारण सेक्टर के लिए प्राधिकरण द्वारा डिजिटल एड्रेसएबल टीवी सिस्टम (डीएएस) के अंतःसंबंधन के मामले पर कार्रवाई की गई है। सरकार को 'भारत में रेडियो श्रवण मापन एवं मूल्यांकन' के संबंध में सिफारिशों की गई थी।

देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा फील्ड स्तरीय आउटरीच में वृद्धि के लिए उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम तथा उपभोक्ता जागरूकता संवर्धन के लिए कार्यशालाओं के आयोजन एवं उपभोक्ता प्रतिभागिता प्रोत्साहन के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे प्रयास भादूविप्रा उपभोक्ता इंटरफेस के विस्तार तथा समस्याओं का प्रक्रियाबद्ध रूप में त्वरित निपटान करने के लिए किए गए थे। भादूविप्रा द्वारा अपने आदेशों, निदेशों तथा विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की ओर भी ध्यान दिया गया है। विनियामक अपेक्षाओं, अनुपालन न करने पर आर्थिक दंड, तथा गंभीर अपराध की शिकायतों की स्थिति में अभियोजन की व्यवस्था किए जाने के परिणामस्वरूप सभी परिणाम बेहतर प्राप्त हुए हैं एवं विनियामक प्रवर्तन स्थापित हुआ है।

इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान प्राधिकरण द्वारा किए गए क्रियाकलापों का संक्षेप सार दिया गया है। यह रिपोर्ट सभी भागीदारों की सूचना के लिए पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध है। क्रियाकलापों का वर्गीकरण मात्र पठन सुगम बनाने के लिए किया गया है। इस रिपोर्ट में संदर्भित सभी अनुशंसाएं, विनियम, आदेश तथा निदेश इत्यादि भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं तथा विस्तृत जानकारी के लिए यहां से संदर्भ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी आशा है कि इस रिपोर्ट से दूरसंचार एवं प्रसारण सेक्टर के विकास में संवर्धन के लिए प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रति भागीदारों के सम्मुख वृहद दृष्टिकोण एवं बेहतर अनुकूलन की प्रस्तुति हो सकेगी।

१५ अक्टूबर २०१६
1 fpo

क्रियाकलापों की रिपोर्ट

I. उपभोक्ता हित

उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संतुष्टि के लिए विनियामक यंत्रव्यवस्था में सुधार के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। भादूविप्रा द्वारा जागरूकता संवर्धन एवं नीति निर्धारण में उपभोक्ताओं के विचार एवं उनके प्रयोजनों का समावेश करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संगठनों के साथ पारस्परिक क्रियाएं भी की जाती हैं।

सेवा गुणवत्ता

प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। भादूविप्रा द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के मानकों की निगरानी की जाती है तथा अनुपालन का सुनिश्चय किया जाता है।

सेवा की गुणवत्ता के सुनिश्चय के लिए भादूविप्रा द्वारा निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से सेवा गुणवत्ता के मानकों के मानदंडों के प्रति सेवा प्रदाता के निष्पादन की कड़ी निगरानी की जाती है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित रूप से परस्पर सम्पर्क किए जाते हैं। इसके अलावा, भादूविप्रा द्वारा ऑडिटिंग एवं सेवा गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं एवं सेवा के प्रति ग्राहक अनुभूति के अनुरूप स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से नियमित रूप से सर्वेक्षण किए जाते हैं। ऑडिट तथा सेवा गुणवत्ता के मानकों के मूल्यांकन के परिणाम भागीदारों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। सेवा गुणवत्ता के मानदंडों पर खरा न उतरने पर भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं को आर्थिक दंड भी दिया जाता है।

भादूविप्रा द्वारा नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार रिपोर्ट अवधि के दौरान निर्धारित मानदंडों पर खरा न उतरने के लिए सेवाओं प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस / आर्थिक दंड के आदेश जारी किए गए हैं :

(i) सेवा गुणवत्ता के मानकों का उल्लंघन :

वर्ष के दौरान भादूविप्रा द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडबैंड सेवा गुणवत्ता के मानकों को पूरा न किए जाने के कारण 34 कारण बताओ नोटिस, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बुनियादी सेवाओं के सेवा गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने के लिए 13 नोटिस, 2जी सेवाओं के लिए 30 नोटिस तथा 3जी सेवाओं के लिए 14 नोटिस जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में सेवा गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन तथा सेवा गुणवत्ता मानकों की अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति में देरी के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आर्थिक दंड के 54 आदेश जारी किए गए हैं :

l ok a	dy jk' k
2जी	334.0 लाख
3जी	53.0 लाख
ब्रॉडबैंड	35.6 लाख
बुनियादी	34.0 लाख
	456.6 लाख

(ii) मीटरिंग एवं बिलिंग के लिए सेवाओं की गुणवत्ता

- (1) 2 सीएमटीएसपी – मैसर्स आरसीएल तथा मैसर्स आरटीएल को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग एवं बिलिंग की सटीकता की व्यवहार संहिता) विनियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ।
- (2) मैसर्स वोडाफोन को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग एवं बिलिंग में सटीकता की व्यवहार संहिता) विनियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दिनांक 18 फरवरी, 2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ।
उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में मीटरिंग एवं बिलिंग विनियमों का उल्लंघन किए जाने पर 159 लाख रुपए की राशि के चार आर्थिक दंड आदेश जारी किए गए थे ।

(iii) अनापेक्षित वाणिज्यिक सम्प्रेषण

इस अवधि के दौरान भादूविप्रा द्वारा यूसीसी के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूसीसी विनियमों के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 400 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे ।

उक्त नोटिस के अनुक्रम में 557.71 लाख रुपए की राशि के 63 आर्थिक दंड आदेश जारी किए थे ।

(iv) मोबाईल बैंकिंग (सेवा गुणवत्ता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 दिनांक 22 नवम्बर, 2016

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के “मोबाईल बैंकिंग (सेवा गुणवत्ता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग संव्यवहार एवं यूएसएसडी आधारित मोबाईल बैंकिंग एवं भुगतान सेवाओं के लिए विनियम जारी किए गए हैं । ये विनियम फीचर फोन का प्रयोग करने वाले अभिदाताओं में यूएसएसडी आधारित मोबाईल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जारी किए गए हैं ।

(v) “सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेवा के लिए नेटवर्क सम्बद्ध सेवा गुणवत्ता मानकों की समीक्षा” के संबंध में दिनांक 5 अगस्त, 2016 का परामर्श पत्र ।

भादूविप्रा द्वारा सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेवा के लिए नेटवर्क सम्बद्ध सेवा गुणवत्ता मानकों की समीक्षा के संबंध में दिनांक 5 अगस्त, 2016 को परामर्श पत्र जारी किया गया था । इस परामर्श पत्र में 2जी तथा 3जी नेटवर्कों की सेवा गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मापदंडों तथा संबंधित मानदंडों का विवरण दिया गया है । उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जा रही सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंडों में परिवर्तन लाए जाने तथा

आवश्यकतानुसार मापदंड जोड़े जाने के उद्देश्य से भागीदारों के विचार आमंत्रित किए गए हैं । संगत मापदंड 4जी/बीडब्ल्यू सेवाओं के लिए भी नेटवर्क में जारी विकास को ध्यान में रखते हुए जोड़े जाने की संकल्पना भी की गई है । इस परामर्श पत्र के माध्यम से भागीदारों से यह ज्ञात करने की अपेक्षा की गई है कि सीडीआर के मैटा डाटा विश्लेषण के माध्यम से कॉल ड्रॉप दरों के आकलन के लिए कौन सी विधि कारगर हो सकती है । निर्धारित मानदंड से कम निष्पादन के मामले में आर्थिक दंड के प्रत्यारोपण की यंत्र व्यवस्था का मुद्दा भी इस परामर्श पत्र में उठाया गया है ।

2. मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी

मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियमों का उल्लंघन

मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियमों का उल्लंघन न होने का सुनिश्चय करने के लिए भादूविप्रा द्वारा समय समय पर नमूना एकत्रण अथवा शिकायतों के माध्यम से निगरानी की जाती है । इस प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन पाए जाने पर सेवा प्रदाता पर आर्थिक दंड लगाए जाते हैं । वर्ष 2016 के दौरान एमएनपी विनियम, 2009 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सेवा प्रदाताओं पर 3.90 लाख रूपए की राशि के आर्थिक दंड लगाए गए थे ।

3. उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तिकरण

(i) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) विनियम, 2016

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2016 को डाटा पैक (अर्थात केवल डाटा लाभों से युक्त विशेष मूल्यसूची वाउचर) से दीर्घकालिक वैधता प्रदान करने के लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दसवां संशोधन) विनियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं । इस संशोधन से पूर्व में 90 दिन के लिए प्राप्त होने वाले डाटा लाभ युक्त एसटीवी की अधिकतम वैधता बढ़कर 365 दिन की गई है ।

(ii) भादूविप्रा विश्लेषण पोर्टल तथा “माई स्पीड“ एप्लीकेशन

उपभोक्ता सुविधा तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए भादूविप्रा द्वारा “ट्राई विश्लेषण पोर्टल” (www.analytics.trai.gov.in) एवं डाटा स्पीड मापन के लिए मोबाईल एप्लीकेशन (ट्राई माईस्पीड) लांच की गई है । ट्राई माईस्पीड एप्लीकेशन के उपयोग से उपभोक्ताओं को भारत में मोबाईल डाटा के संबंध में उपभोक्ताओं को मापण संबंधी जानकारी प्राप्त होती है । इस एप्लीकेशन के उपयोग से उपभोक्ता अपनी स्पीड माप सकते हैं तथा प्राप्त परिणाम पोर्टल में जमा करवा सकते हैं । यह एप्लीकेशन डिवायस तथा टेस्ट लोकेशन के साथ कवरेज, डाटा, स्पीड, नेटवर्क इत्यादि से संबंधित सूचना भादूविप्रा सर्वर को प्रेषित भी करती है ।

4. खुदरा एवं थोक मूल्यसूची

भादूविप्रा द्वारा मूल्यसूची विनियमन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाता है तथा यह निर्धारण किया जाता है कि किन दरों पर उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाएं

उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। मूल्यसूची विनियमों का प्रयोग ग्राहकों को प्रस्तुत की जाने वाली मूल्यसूची के प्रति स्पष्टता तथा पारदर्शिता के सुनिश्चय तथा बाजार द्वारा प्रतिस्पर्द्धी मूल्यसूची न दिए जा सकने की स्थिति में मूल्यसूची के निर्धारण के लिए किया जाता है। दूरसंचार सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा अधिकांश दूरसंचार सेवाओं की मूल्यसूची के संबंध में नम्रता दिखाई गई है। विचाराधीन अवधि के दौरान मूल्यसूची से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं :

(i) डाटा सेवाओं के लिए विभेदकारी मूल्य सूची पर प्रतिबंध के विनियम, 2016 दिनांक 8 जनवरी, 2016

भादूविप्रा द्वारा सदैव देश में दूरसंचार सेवाओं के मूल्यों के संबंध में भेदभाव मुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। समान श्रेणी के अभिदाताओं के मध्य अलग प्रकार की मूल्यसूची को भेदभाव माना गया है। दिनांक 8 फरवरी, 2016 को अधिसूचित किए गए डाटा सेवाओं की विभेदकारी मूल्यसूची पर प्रतिबंध के विनियम, 2016 भादूविप्रा द्वारा अब तक अपनाए जा रहे भेदभाव मुक्त सिद्धांतों के अनुरूप हैं। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मामला-वार मूल्यसूची हस्तक्षेप की व्यवस्था के स्थान पर प्रत्याशित विनियमन की व्यवस्था अधिक उचित रहेगी क्योंकि इससे उद्योग प्रतिभागियों द्वारा अपेक्षित निश्चितता की प्राप्ति होती है। भेदभाव पूर्ण मूल्यसूची के प्रत्येक मामले की जांच के लिए अपेक्षित समय तथा संसाधनों के संदर्भ में विनियम की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए भी यह उपाय किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

इन विनियमों के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं द्वारा एस्सेस की जाने वाली वेबसाइट, एप्लीकेशन अथवा प्लेटफार्म के आधार पर डाटा उपयोग के लिए भेदकर मूल्य प्रतिबंधित करते हुए निम्नलिखित अनिवार्यताएं की गई हैं :

- क) किसी सेवा प्रदाता द्वारा डाटा विषय के आधार पर डाटा सेवाओं के लिए विभेदकारी मूल्यसूचियों की प्रस्तुति अथवा प्राप्ति नहीं की जाएगी।
- ख) किसी सेवा प्रदाता द्वारा डाटा सेवाओं के लिए प्रस्तुत अथवा प्राप्त की गई विभेदकारी मूल्यसूची से प्रभावित किसी भी ऐसे व्यक्ति, सहज अथवा विधिक, के साथ किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा इस विनियम में किए गए प्रतिबंधों से बचाव के उद्देश्य के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था, अनुबंध अथवा किसी भी स्वरूप में स्वीकृति नहीं की जाएगी।
- ग) आपातकाल में सेवाओं अथवा आपातकालीन समयावधि में कम दर पर सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
- घ) विनियम के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड निर्दिष्ट किए गए हैं।

(ii) दूरसंचार मूल्यसूची (इकसठवां संशोधन) आदेश, 2016 दिनांक 22 नवम्बर, 2016

हमारे सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धि एवं सुगम एस्सेस जन लक्ष्यों का एक प्रमुख घटक है। तथापि, कटु वास्तविकता यह है कि हमारे देशवासियों के बहुत बड़े वर्ग को अभी भी बैंक सुविधाएं उपलब्ध नहीं

हैं अथवा कम उपलब्ध हैं । ग्रामीण भारत में मोबाईल टेलीफोन की सरल पहुंच के परिणामस्वरूप मोबाईल फोन का उपयोग अब इस वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है । तदनुसार, नवम्बर, 2013 में वित्तीय समावेशन के लिए मोबाईल बैंकिंग की सुविधा सुगम बनाने के उद्देश्य से भादूविप्रा द्वारा बैंकों के एजेंटों को एस्सेस सेवा प्रदाताओं के साथ इंटरफेस तथा यूएसएसडी आधारित मोबाईल बैंकिंग सेवाओं पर प्रति यूएसएसडी सेशन 1.50 रूपए की निर्धारित अधिकतम मूल्य सूची पर एसएमएस, यूएसएसडी एवं आईवीआर चैनलों के प्रयोग से बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धि के लिए फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है ।

तथापि, इन प्रयासों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं तथा संव्यवहार की संख्या एवं सफलता दर दोनों ही प्रत्याशाओं से काफी कम पाई गई हैं ।

तदनुसार यूएसएसडी आधारित बैंकिंग सेवाओं की सुविधा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के दूरसंचार मूल्यसूची (इकसठवां संशोधन) आदेश, 2016 में संशोधन किया गया था तथा यूएसएसडी आधारित मोबाईल बैंकिंग एवं भुगतान सेवाओं के लिए प्रति यूएसएसडी सेशन दर की उच्चतम सीमा 1.50 रूपए से घटाकर 0.50 रूपए कर दी गई थी । इस संशोधन से बैंकों अथवा इसके एजेंटों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निकायों को यूएसएसडी के प्रयोग से मोबाईल फोन पर बैंकिंग एवं भुगतान के लिए बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी ।

(iii) 'टेलीविजन मूल्य सूची के लिए मंहगाई सम्बद्ध बढ़ोतरी' के संबंध प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय

दिनांक 9 मई, 2016 को भादूविप्रा द्वारा टेलीविजन मूल्य सूची के लिए मंहगाई सम्बद्ध बढ़ोतरी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया था । माननीय दूरसंचार विवाद एवं अपील अधिकरण द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2015 को लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 4 अगस्त, 2015 के अपने अंतिम आदेश में किए गए प्रेक्षण के आधार पर भादूविप्रा द्वारा जीडीपी अपस्फीतिकारक का मंहगाई के सूचकांक को मद्दे नजर रखकर इस मामले की पुनः जांच की गई । इस मामले के संबंध में ब्यौरेवार एवं सर्वांगीण विश्लेषण करने के उद्देश्य से अंशदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी जैसे सम्बद्ध कारक तथा प्रसारणकर्ताओं के सकल राजस्व में बढ़ोतरी के संबंध में भी अध्ययन किए गए ।

संबंधित डाटा तथा थोक स्तरों पर मूल्य सूची की उच्चतम सीमा में मंहगाई के आधार पर बढ़ोतरी किए जाने से विभिन्न कारकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने पर प्राधिकरण द्वारा यह देखा गया कि प्रसारकों को प्राप्त हो रहा वार्षिक राजस्व जीडीपी अपस्फीतिकारक के उपयोग से वर्ष वार आकलन की मंहगाई दर को ध्यान में रखकर किए गए अनुमानित राजस्व की तुलना में काफी अधिक है । प्रसारकों को मिश्रित वार्षिक विकास दर के वर्ष वार प्राप्त हो रहे राजस्व से भी सकारात्मक विकास के संकेत प्राप्त हुए । इसमें महत्वपूर्ण यह है कि यह विकास वर्ष वार जीडीपी अपस्फीतिकारक के उपयोग से वर्ष वार आकलन की जाने वाली मंहगाई के अनुसार अनुमानित राजस्व से काफी अधिक है ।

तथ्यों के संबंध में उपर्युक्त विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा इस ओर ध्यान दिए जाने पर कि इस उद्योग में वर्षों के दौरान बढ़ी मंहगाई से राजस्व में हुई बढ़ोतरी के कारण राजस्व की अत्याधिक बढ़ोतरी हुई

है तथा तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31 मार्च 2014 तथा 31 दिसम्बर, 2014 के क्रमशः 11वें तथा 13वें टीटीओ के माध्यम से सम्बद्ध की गई मंहगाई से संबद्ध बढ़ोतरी, जिसे माननीय दूरसंचार विवाद एवं अपील अधिकरण द्वारा खारिज किया गया है, (माननीय दूरसंचार विवाद एवं अपील अधिकरण के उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी समर्थित किया गया है) की अब आवश्यकता नहीं है ।

5. उपभोक्ता ग्राहक समर्थन एवं शिक्षा

देश भर में उपभोक्ताओं तक पहुंच स्थापना के महत्व को ध्यान में रखते हुए भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार अंशदाताओं के माध्यम से अपनी वेबसाइट तथा देश भर में चलाए जा रहे उपभोक्ता सम्पर्क कार्यक्रमों के माध्यम से जन सम्पर्क की व्यवस्था की गई है । भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ता समर्थन समूह (सीएजी) के रूप में उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है । वे उपभोक्ताओं, दूरसंचार प्रदाताओं एवं भादूविप्रा के मध्य एक संभाषी की भूमिका का निर्वाह करते हैं तथा उपभोक्ता शिक्षा के लिए भादूविप्रा की सहायता करते हैं । भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों एवं सेवाओं से संबंधित समस्याओं के प्रति समाचार पत्र एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सहित शिक्षा / प्रचार सामग्री के माध्यम से जागरूक किया जाता है ।

(i) उपभोक्ता आउट्रिच (पहुंच) कार्यक्रम

वर्ष के दौरान भादूविप्रा द्वारा देश भर में 86 उपभोक्ता आउट्रिच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं । भादूविप्रा द्वारा आयोजित उपभोक्ता आउट्रिच कार्यक्रमों की सूची अनुबंध में दी गई है । उपभोक्ता समर्थन समूहों तथा उपभोक्ता शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन के लिए 7 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं । इन इन्टरएक्टिव कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं / सीएजी को भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ता के हितों की संरक्षा के लिए किए गए विभिन्न उपायों की जानकारी प्रदान की गई है ।

(ii) उपभोक्ता शिक्षा साहित्य एवं मीडिया अभियान

भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ताओं के मध्य दूरसंचार के प्रति जागरूकता जागरण के लिए उपभोक्ता पुस्तिका अद्यतन की गई है । यह पुस्तिका हिन्दी, अंग्रेजी तथा 10 स्थानीय भाषाओं (तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, उड़िया, एवं असमी में भी प्रकाशित की गई है तथा इसका वितरण उपभोक्ताओं एवं स्थानीय उपभोक्ता परामर्श समूहों को उपभोक्ता जागरूकता संवर्धन के लिए निःशुल्क किया गया है ।

भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता संवर्धन के लिए उपभोक्ता हित के विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर मीडिया अभियान आयोजित किए गए हैं । ईएमएफ रेडिएशन, टॉवर जालसाजी, टोल फ्री नम्बर 198 तथा डाटा सेवाओं जैसे मामलों के संबंध में हिन्दी, अंग्रेजी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देश भर में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं । केबल सेवाओं के डिजिटलाइजेशन से संबंधित विज्ञापन विभिन्न नगरों के एफएम रेडियों पर प्रसारित किए गए हैं ।

मीडिया अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं में विस्तृत जागरूकता संवर्धन के लिए भादूविप्रा द्वारा अगस्त, 2016 माह के दौरान हिन्दी तथा 11 क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से 37 नगरों के 61 एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से “ट्राई माई स्पीड एप्प” के बारे में विज्ञापन प्रसारित किए गए हैं ।

(iii) उपभोक्ता परामर्श समूह का पंजीकरण

भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता परामर्श समूहों द्वारा भादूविप्रा के क्रियाकलापों के प्रति उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं के संबंध में समन्वय एवं स्पष्टता के लिए भादूविप्रा को उपभोक्ता शिक्षा एवं उपभोक्ताओं के हित संरक्षण तथा प्रचार कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है । 24 उपभोक्ता परामर्श समूहों के पंजीकरण का अगले दो वर्षों के लिए नवीकरण किया गया है तथा इस अवधि के दौरान 4 नए उपभोक्ता परामर्श समूह पंजीकृत किए गए हैं । वर्तमान में भादूविप्रा में कुल 56 उपभोक्ता परामर्श समूह पंजीकृत हैं । भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन उपभोक्ता परामर्श समूहों के साथ परस्पर सम्पर्क रखा जाता है तथा उनके कार्यकलापों एवं उपभोक्ताओं की सेवा प्रदाताओं से संबंधित समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता की जाती है । उपभोक्ता परामर्श समूह द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में आयोजित उपभोक्ता पहुंच (आउट्रिच) कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं में प्रतिभागिता की जाती है ।

6. अनापेक्षित वाणिज्यिक सम्प्रेषण

अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण की निगरानी के लिए मोबाईल एप्प

दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता वरीयता विनियम, शिकायत आधारित विनियम हैं जिसके लिए उपभोक्ताओं द्वारा सरल प्रयोग के लिए अतिरिक्त शिकायत यंत्र व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई थी । इसे ध्यान में रखकर भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं को सम्प्रेषित करने के लिए अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण की शिकायतों के सरल पंजीकरण के लिए एक मोबाईल एप्प (डीएनडी सर्विसेज) तैयार की गई है । इस एप्प के प्रयोग से उपभोक्ता अपनी शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं ।

7. इन्टरक्नेक्शन

विभिन्न दूरसंचार नेटवर्कों के इन्टरक्नेक्शन से विभिन्न नेटवर्कों के उपभोक्ताओं को भिन्न नेटवर्कों के लिए अंशदान दिए बिना आपस में सम्पर्क स्थापित करने की सुविधा प्राप्त होती है । रिपोर्ट अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा इन्टरक्नेक्शन व्यवस्था में संवर्धन के संबंध में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनेकों उपाय किए गए हैं :

(i) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इन्टरक्नेक्शन (डिजिटल एड्जेस्टेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (छठा संशोधन) विनियम ,2016 दिनांक 7 जनवरी, 2016

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2016 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इन्टरक्नेक्शन (डिजिटल एड्जेस्टेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (छठा संशोधन) विनियम ,2016 अधिसूचित किया गया था । प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाताओं से प्राप्त इन्टरक्नेक्शन विवरणों से इस ओर ध्यान दिया गया था कि वैध लिखित इन्टरक्नेक्शन

अनुबंध के बिना विभिन्न प्रसारकों द्वारा मल्टी सर्विस आपरेटरों एवं मल्टी सर्विस आपरेटरों द्वारा स्थानीय केबल आपरेटरों को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । यह भी देखा गया था कि आपसी व्यवहार से मिथ्या कथन द्वारा बिना किसी लिखित इंटरक्नेक्शन अनुबंध के सिग्नल ट्रांसमिशन किए जाने के परिणाम अक्सर विवादों तथा एकाएक डिस्कनेशन में परिणत हुए हैं जिसका दुष्प्रभाव उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ा है ।

इस संशोधन के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा पे चैनलों के प्रसारक से अपने पे चैनलों के ट्रांसमिशन के लिए एमएसओ के साथ लिखित वैध इंटरक्नेक्शन अनुबंध करने की अनिवार्य की गई है तथा इसके लिए मल्टी सर्विस आपरेटर द्वारा प्रसारक को किसी प्रकार के अंशदाता शुल्क के भुगतान को विचार में नहीं लिया जाना है । इस संशोधन में सेवा प्रदाताओं के मध्य टेलीविजन सिग्नलों के पुनः प्रसारण के लिए विद्यमान इंटरक्नेक्शन अनुबंध समाप्त होने से पूर्व नए इंटरक्नेक्शन को प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त समय (न्यूनतम साठ दिन) दिया गया है । इस संशोधन के पश्चात विद्यमान इंटरक्नेक्शन अनुबंध समाप्त होने पर टीवी सिग्नल उपलब्ध करवाना जारी रखने के लिए आपसी व्यवहार से किसी मिथ्या कथन की संभावना शेष नहीं रहेगी ।

मल्टी सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्यता की गई है कि वे नया इंटरक्नेक्शन न कर पाने पर अपने विद्यमान इंटरक्नेक्शन अनुबंध के समाप्त होने तथा टेलीविजन चैनल कट जाने की तिथि की जानकारी अपने उपभोक्ताओं को अपना विद्यमान इंटरक्नेक्शन समाप्त होने से कम से कम 15 दिन पहले पहले अवश्य दे दें ताकि उपभोक्ताओं द्वारा समय पर अपनी पसंद के अनुरूप निर्णय लिया जा सके ।

(ii) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरक्नेक्शन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 दिनांक 15 मार्च, 2016

प्राधिकरण द्वारा मल्टी सर्विस आपरेटर एवं लोकल केबल आपरेटर के मध्य डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की उपलब्धि के लिए मॉडल इंटरक्नेक्शन अनुबंध तथा मानक इंटरक्नेक्शन अनुबंध के निर्धारित फार्मेट प्रस्तुत करते हुए दिनांक 15 मार्च, 2016 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरक्नेक्शन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 जारी किया गया है । प्राधिकरण का ऐसा विचार है कि मॉडल इंटरक्नेक्शन अनुबंध तथा मानक इंटरक्नेक्शन अनुबंध के फार्मेट उपलब्ध होने से इस सेक्टर का विकास हो सकेगा तथा इसके परिणामस्वरूप एमएसओ तथा एलएसओ के मध्य होने वाले विवाद की घटनाओं में कमी आएगी जिससे दोनों पक्षों को समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे तथा इस सेक्टर में अंततः स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होगी जिससे आखिरकार अंशदाताओं को प्राप्त होने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी ।

II. अनुशांसाएं

सरकार को स्पैक्ट्रम, इन्टरक्नेक्शन जैसे असाधारण संसाधनों के प्रबंधन तथा दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाए जाने जैसे विविध विषयों पर अनुशांसाएं प्रस्तुत की गई थी । इस आदेश के अंतर्गत भादूविप्रा द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित मामलों पर कार्रवाई की गई है :-

दूरसंचार सेक्टर

स्पैक्ट्रम

1. “700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड पर स्पैक्ट्रम के मूल्यांकन एवं आरक्षित मूल्य” के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2016 को प्रस्तुत सिफारिशों

दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकरण से 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के आरक्षित मूल्य पर अनुशांसाएं तथा संबद्ध शर्तों के बारे में अनुशांसाएं प्राप्त की गई थी । दूरसंचार विभाग प्राधिकरण से प्रशासनिक रूप से आबंटित 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का उदारीकरण किए जाने के संबंध में भी सिफारिशें मांगी गई थी ।

भागीदारों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने तथा उनके संबंध में विश्लेषण के पश्चात प्राधिकरण द्वारा 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पैक्ट्रम के मूल्यों तथा आरक्षित मूल्यों के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2016 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गई थी । प्रस्तुत की गई सिफारिशों के प्रमुख आकर्षण नीचे दिए गए हैं :-

- एपीटी 700 बैंड योजना को फ्रिक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स (एफडीडी) आधारित फ्रिक्वेंसी व्यवस्था के साथ 700 मेगाहर्ट्ज (698-806 मेगाहर्ट्ज) स्पैक्ट्रम बैंड के लिए अंगीकार किया जाना चाहिए । 700 मेगाहर्ट्ज में सम्पूर्ण उपलब्ध स्पैक्ट्रम (2 x 35मेगाहर्ट्ज) आगामी नीलामी के दौरान नीलाम किया जाना चाहिए ।
- दूरसंचार विभाग को शीघ्रातिशीघ्र 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के कैरियर पुनःनिर्धारण की कार्रवाई करके यह सुनिश्चय करना चाहिए कि दूरसंचार विभाग के पास वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध सारा स्पैक्ट्रम नीलाम किया जाना चाहिए ।
- दूरसंचार विभाग को रक्षा तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय से 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए संगत प्रक्रिया आगामी नीलामी से पूर्व कर लेनी चाहिए ताकि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उपलब्ध सारे स्पैक्ट्रम की नीलामी की जा सके ।
- 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए अपने रोल आउट दायित्वों के भाग के रूप में 15,000 अथवा अधिक परन्तु 50,000 से कम जनसंख्या वाले सभी कस्बों/गांवों 5 वर्ष की अवधि तथा 10,000 अथवा अधिक परन्तु 15,000 से कम जनसंख्या के लिए 7 वर्ष की अवधि में शामिल कर लिया जाना चाहिए ।

- वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी संगठनों के लिए निर्धारित सारे स्पैक्ट्रम का ऑडिट किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए ।
- विभिन्न स्पैक्ट्रम बैंडों के लिए अनुशासित आरक्षित मूल्य नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

वृत्तवार्षिक व्यय, प्रति, दशक							
, y, l,	700	800	900	1800	2100	2300	2500
	exlgVt Z	exlgVt Z	exlgVt Z	exlgVt Z	exlgVt Z	exlgVt Z	exlgVt Z
	ifr exlgVt Z 1/2 M2				ifr exlgVt Z 1/2 M2		
fnYyh	1595	848		399	554	143	143
eFcbZ	1192	727		298	461	146	146
dkydrk	596	160		149	116	33	33
vkzk i nsk	971	606		243	272	68	68
xq jkr	952	285	673	238	258	39	39
dukWd	740	303	558	185	328	98	98
egkj kVa	1272	799		318	341	58	58
rfeyukMq	900	360		225	344	132	132
gfj; k kk	186	57	151	47	55	8	8
djy	334	243		83	177	16	16
e/; i nsk	331	408		83	123	8	8
i t kc	308	119		77	91	21	21
jkt LFku	364	204		91	140	6	6
m-i z/4 wZ2	459	219	776	115	110	9	9
m-i z/4 f' pe 1/2	384	182	739	96	111	12	12
if' pe cakky	183	82		46	52	5	5
vl e	158			40	46	2	2
fcgkj	248	136	444	62	86	6	6
fgelpy i nsk	64	24		16	20	1	1
t Ewo d' elj	52			13	11	1	1
i wkrj	44			11	12	1	1
mMh k	152	57		38	38	4	4

2. “ 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज स्पैक्ट्रम के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2016 के मूल्यांकन एवं आरक्षित मूल्य “ के लिए दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को दूरसंचार विभाग को प्रेषित स्पष्टीकरण/ प्रतिक्रिया ।

प्राधिकरण द्वारा 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2016 के मूल्यांकन एवं आरक्षित मूल्य “ के संबंध में अपनी अनुशंसाएं दूरसंचार विभाग को प्रेषित की गई थी । दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को दूरसंचार विभाग द्वारा इसके संबंध में स्पष्टीकरण / पुनर्विचार किए जाने के लिए कहा गया ।

दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा सरकार को अपनी प्रतिक्रिया 18 अप्रैल, 2016 को प्रस्तुत की गई । अपनी प्रतिक्रिया में प्राधिकरण द्वारा मुख्यतः अपनी पूर्व अनुशंसाओं को ही दोहराया गया है ।

3. “ उदारीकरण के अंतर्गत प्रशासनिक तौर पर निर्धारित स्पैक्ट्रम पर प्रभार प्राप्ति“ के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2016 की अनुशंसाएं ।

प्राधिकरण द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत प्रशासनिक तौर पर निर्धारित स्पैक्ट्रम पर प्रभार प्राप्ति“ के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2016 को अपनी अनुशंसाएं भेजी गई थी । उन स्थानों के लिए जहां स्पैक्ट्रम बैंड के लिए बाजार निर्धारित मूल्य अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षित मूल्य नहीं था उन स्थानों के लिए इन अनुशंसाओं में स्पेक्ट्रम के उदारीकरण के लिए प्रभारित किए जाने वाले मूल्य भी शामिल किए गए थे । तत्संबंध में की गई अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :-

- अंतरिम उपाय के तौर प्राधिकरण द्वारा 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2016 को की गई अनुशंसाओं में अनुशंसित आरक्षित मूल्य को उदारीकरण के अंतर्गत प्रशासनिक तौर पर निर्धारित स्पैक्ट्रम के अस्थायी मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए ।
- नीलामी के अगले दौर के पश्चात तथा नीलामी निर्धारित मूल्य उपलब्ध होने पर पहले से ही प्रभारित किए गए अस्थायी मूल्यों का समायोजन नीलामी से निर्धारित मूल्य पर किया जा सकता है ।

4. “700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में स्पैक्ट्रम के मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य“ के संबंध में दिनांक 12 जुलाई, 2016 के स्पष्टीकरण / पुनर्विचार ।

दिनांक 27 जनवरी, 2016 को प्राधिकरण द्वारा 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगा हर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड” के मूल्यांकन एवं अनुशंसाओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं दूरसंचार विभाग को भेजी गई थी । दिनांक 24 जून, 2016 को दूरसंचार विभाग द्वारा स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभारों के संबंध में

स्पष्टीकरण / पुनर्विचार की अपेक्षा की गई । दूरसंचार विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों एवं प्रेक्षण पर विचार किए जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दिनांक 12 जुलाई, 2016 को दूरसंचार विभाग को भिजवाई गई । प्रमुख अनुशंसाएं निम्नानुसार की गई थी :

- नीलामी के मूल्य से चूंकि बैंड के टीएसपी मूल्य प्रदर्शित होते हैं अतः इसे विचार में लेते हुए नीलामी मूल्यों के आधार पर बाजार निर्धारित मूल्य निश्चित ही ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिनसे परिणामों / वास्तविकता की निकटतम छवि प्रस्तुत होती है ।
- तथापि, प्रयोग में लाई गई प्रॉक्सी को विचार में लाए बिना, भारत औसत दर पर आधारित किया गया कोई समाधान बेहतर अस्थायी समाधान हो सकता है ।
- दूरसंचार विभाग द्वारा विधान के अनुसार सरल, पारदर्शी एवं समतल मूल्यों की एसयूसी व्यवस्था स्थापित करते समय प्रत्येक संभव उपायों पर विचार किया जाना चाहिए ।

इंटरक्नेक्शन

1. “आईपी इंटरफेस पर इंटरक्नेक्शन” के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2016 को की गई अनुशंसाएं

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 जून, 2014 को “आईपी आधारित नेटवर्क पर स्थानांतरण” के संबंध में एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को मुक्त चर्चा आयोजित की गई थी। परामर्श पत्र की प्रतिक्रिया में कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि सन्निकट आईपी आधारित नेटवर्क की ओर परिवर्तन अत्याधिक प्रत्याशित है अतः इसके लिए यह आवश्यक होगा कि लाइसेंस शर्तों में बदलाव लाकर उसमें आईपी आधारित इंटरक्नेक्शन के संबंध में स्पष्टता की जाए ।

दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2015 किए गए सम्प्रेषण में भी भादूविप्रा को यह लिखा गया है कि आईपी इंटरक्नेक्शन के संबंध में निर्बाधता के सुनिश्चय के लिए दूरसंचार उद्योग के सम्मुख एक बड़ी समस्या आईपी स्तर पर इंटरक्नेक्शन के लिए लगे प्रतिबंधों को हटाने की है । भादूविप्रा द्वारा इसके लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2015 के “आईपी आधारित इंटरक्नेक्शन के लिए परामर्श नोट” पर भागीदारों के संक्षिप्त परामर्श प्रारम्भ किए गए । इसमें समाहित विभिन्न मामलों पर विचार करने तथा भागीदारों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में लेकर प्राधिकरण द्वारा आईपी स्तर पर इंटरक्नेक्शन के लिए एकीकृत लाइसेंस की धारा 27.3 में संशोधन किए जाने की सिफारिश की गई । यह भी सिफारिश की गई कि इसी प्रकार का संशोधन अन्य लाइसेंस अनुबंधों की संबंधित धाराओं में भी किया जाना चाहिए ।

धारा 27.3 के लिए प्रस्तावित सार निम्नानुसार है :-

“सर्किट स्विच ट्रैफिक के वहन के लिए विभिन्न लाइसेंसधारियों के मध्य इंटरक्नेक्शन सीसीएस संख्या 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा तथा आईपी आधारित ट्रैफिक का वहन दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र के समय समय पर यथासंशोधित मानकों के अनुसार तथा नेटवर्कों की तकनीकी संभाव्यता एवं तकनीकी पूर्णता की शर्त

पर भादूविप्रा / लाइसेंस दाता द्वारा समय समय पर जारी इंटरक्नेशन के समग्र फ्रेमवर्क/ विनियमों/ निदेशों/ आदेशों के अनुसार होगा । सर्किट स्विच तथा आईपी आधारित नेटवर्क के बीच इंटर-नेटवर्किंग के लिए लाइसेंसी को मीडिया गेटवे स्विच की संस्थापना करनी होगी । इसके अलावा लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसी को इंटरक्नेक्शन से संबंधित मामलों के संबंध में दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र द्वारा जारी मानकों को अंगीकार करने का निदेश दिया जा सकेगा । ”

दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को किए गए सम्प्रेषण के माध्यम से आईपी इंटरफेस पर इंटरक्नेक्शन के लिए भादूविप्रा द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इंटरनेट प्रोटोकॉल पर इंटरक्नेक्शन के लिए एकीकृत लाइसेंस के लिए किए गए संशोधनों की जानकारी दी गई है ।

2. मैसर्स एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया द्वारा “लाइसेंस अनुबंध एवं बेसिक टेलीफोन सेवाओं (वायरलेस) तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के प्रावधानों” के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को की गई सिफारिशें ।

प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार विभाग को पीओआई संकुलन 0.5 प्रतिशत की अनुमत्त सीमा से अधिक होने पर प्रति एलएसए 50 करोड़ की जुर्माना कार्रवाई मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड तथा मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ किए जाने की अनुशंसा की गई है ।

दूरसंचार सेवाओं में सुधार

1. “भारत नेट के लिए कार्यान्वयन की कार्यनीति’ के संबंध में दिनांक 1 फरवरी, 2016 को की गई अनुशंसा

प्राधिकरण द्वारा भारत नेट के कार्यान्वयन के वैकल्पिक मॉडल की खोज के उद्देश्य से दिनांक 17 नवम्बर, 2015 को “भारत नेट के लिए कार्यान्वयन के मॉडल’ के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया गया । अवसंरचना प्रदाताओं, निर्माण कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों, मल्टी सर्विस प्रचालकों, तथा प्रसारकों के साथ दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 को बैठक आयोजित की गई । दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, औद्योगिक संघों, मल्टीपल सेवा प्रचालकों तथा प्रसारकों के साथ एक अलग बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को आयोजित की गई । भागीदारों के साथ ऑपन हाउस चर्चा दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को आयोजित की गई थी ।

भागीदारों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार तथा विश्लेषण किए जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा “भारत नेट के कार्यान्वयन मॉडल” की अनुशंसा की गई । अनुशंसाओं के प्रमुख आकर्षण निम्नानुसार हैं :-

- दीर्घकालिक सेवा डिलीवरी से युक्त निजी प्रोत्साहनों के तारतम्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी का स्वरूप जिसमें निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-हस्तांतरण / निर्माण -प्रचालन-स्थानांतरण के स्वरूप को कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

- रियायतग्राही के कार्य के कार्य क्षेत्र में ओएफसी की तैनाती तथा कार्यान्वयन एवं अन्य नेटवर्क अवसंरचना के दोनों कार्यों के साथ साथ रियायत अवधि के दौरान नेटवर्क का प्रचालन होना चाहिए । रियायतग्राही डार्क फाइबर तथा/अथवा बैंडविथ से राजस्वोत्पत्ति का पात्र होना चाहिए ।
- रियायत के लिए अपेक्षित न्यूनतम व्यवहार्यता निधियन के निर्धारण के लिए रियायतग्राही का चयन उत्कृष्ट बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए । कार्यान्वयन के क्षेत्र लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्रों अथवा राज्य/संघ शासित प्रदेश के अनुरूप हो सकते हैं ।
- पहले चरण में संविदाकारी एजेंसी बोली प्रक्रिया के माध्यम से संभावित निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-हस्तांतरण प्रतिभागियों की इच्छा तथा प्रतिक्रिया के संबंध में अंवेक्षण कर सकेगी । ऐसा या तो एक ही बार में पूरे देश (राज्य/लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्रों अथवा 'अनुसूची' के अनुसार पैकज) के लिए किया जाना चाहिए अथवा इसकी शुरुआत बोलिदाता की प्रतिक्रिया में अत्याधिक प्रतिक्रिया देने वाले चुनिंदा राज्यों से की जा सकती है ।
- दूसरे चरण में (जिन क्षेत्रों में निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-हस्तांतरण मॉडल का कार्यान्वयन किया जा सकता है उन क्षेत्रों के अलावा) ईपीसी संविदाकार का चयन किया जाना चाहिए । ईपीसी संविदाकार नेटवर्क के निर्माण तथा नेटवर्क का कार्य पूरा किए जाने के पश्चात दो वर्ष के लिए न्यूनता उत्तरदेयता अवधि के अध्याधीन होगा। जब नेटवर्क का निर्माण लगभग पूरा होने लगेगा तो संविदाकार एजेंसी द्वारा तृतीय पक्षकार (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप नेटवर्क के प्रबंधन एवं विपणन के लिए उत्तरदायी होगा । दो वर्ष की परस्परव्याप्त न्यूनता उत्तरदेयता अवधि का प्रयोग निर्माण से अनुरक्षण के चरण तक निर्बाध परिवर्तन के तौर पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए ।
- रियायत की अवधि फाइबर के तकनीकी जीवन, जिसकी अनुकूलता वर्तमान में 25 वर्ष है, के साथ सह विस्तारी होनी चाहिए । यह अवधि रियायतग्राही को औचित्यपरक लाभ प्राप्ति के पर्याप्त अवसर दिए जाने के साथ साथ उसके प्रोत्साहन को सेवा डिलीवरी के उच्च गुणवत्ता संस्थापन के अनुरूप संरक्षण के लिए पर्याप्त होंगे । यह अवधि 10/20/30 वर्षों के ब्लॉक में सरकार तथा रियायतग्राही के बीच आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी ।
- रियायतग्राही द्वारा सभी सेवा प्रदाताओं को किसी भेदभाव के बिना पारदर्शी पद्धति से एस्सेस की उपलब्धि के सुनिश्चय के लिए सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए ।
- इसके अलावा रियायतग्राही एवं सेवा प्रदाता के मध्य निकटतम संबंध नहीं होने चाहिए । इसका सुनिश्चय सीधे तौर पर एकीकृत इकाई द्वारा अपनी स्थिति के संभावित दुरुप्रयोग से बचाव के लिए अवसंरचना प्रावधान के व्यवसायों का विधिक पृथक्करण तथा परस्परव्याप्त हितों के मामले में सेवा प्रावधान की अनिवार्यता से किया जा सकता है ।
- तकनीकी एवं आर्थिक प्रगुणता के लिए रियायतग्राही को आप्टिकल फाइबर बिछाने के मार्ग, निर्माण के चयन, स्थान विज्ञान (टोपोलॉजी) एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में लोचकता प्रदान की जानी चाहिए ।

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए न्यूनतम राशि की बैंडविथ (100 मेगाबाइट प्रति सैकेंड) की खरीद बाजार मूल्यों पर करके एन्कर ग्राहक की भूमिका का निर्वाह किया जाता है । इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्द्धा संवर्धन के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा न्यूनतम राशि के फाइबर (अर्थात 50 प्रतिशत) की खरीद की अनिवार्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए ।
- निजी सेक्टर में आरओडब्ल्यू को जोखिम का एक प्रमुख कारक माना गया है । इसकी संभावना से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख ऐसे जोखिमों को कम करने तथा प्रतिभागिता वर्धन के लिए अवश्य किया जाना चाहिए । भारतनेट के सफल प्रसार के लिए जन सम्पत्ति को उसकी पूर्व स्थिति में स्थापित किए जाने की शर्त के साथ आरओडब्ल्यू से बचाव के लिए गारंटीयुक्त प्रावधान तथा अपराक्रम्य पूर्वापेक्षाएं अनिवार्य हैं ।
- इस परियोजना की सफलता के लिए इसके कार्यान्वयन की कार्यनीति की ओर ध्यान दिए बिना राज्य सरकारों की सहभागिता अनिवार्य है । राज्यों / संघ शासित प्रदेशों इस परियोजना के कार्यान्वयन के अटूट भाग होने चाहिए तथा प्रभावी समन्वय एवं कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के निपटान के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थागत यंत्रव्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए ।
- इसके अलावा केन्द्र तथा राज्य सरकार को चयनित संकाय में रियायतग्राही के साथ न्यून इक्विटी साझेदारी (~26 प्रतिशत) करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इससे कथित जोखिम कम हो सकते हैं तथा प्राइवेट वित्तियन की लागत कम होने के साथ साथ अप्रत्याशित से संबद्ध जोखिम भी स्वयंमेव समाप्त किए जा सकते हैं । इसके साथ साथ इससे सरकार द्वारा रियायतग्राही के एकाधिकार व्यवहार पर निगाह भी रखी जा सकेगी ।

2. “भारत में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग कार्डों / ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री / किराए पर उपलब्धि” के संबंध में अनुशंसाएं

प्राधिकरण को भारत में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड / ग्लोबल कॉलिंग कार्ड बेचने / किराए पर देने वाली भारतीय ईकाइयों की सेवाओं का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ये शिकायतें अधिक दाम लेने, खराब ग्राहक सेवा तथा मूल्य सूची में पारदर्शिता इत्यादि से संबंधित हैं । प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19 मई, 2015 को ऐसी सभी कम्पनियों को पत्र लिखकर विपणन किए गए सिम कार्डों के स्वरूप, ग्राहक शिकायता निवारण व्यवस्था इत्यादि से संबंधित एक प्रश्नावली में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । दूरसंचार विभाग की दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को वेबसाइट में प्रदर्शित सूची के अनुसार 38 कम्पनियों में से 17 प्रचालकों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ।

इन कम्पनियों से प्राप्त प्रतिक्रिया तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 मई, 2016 को उपभोक्ता हित में दूरसंचार विभाग को “भारत में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड / ग्लोबल कॉलिंग कार्ड बेचने / किराए पर देने वाले विदेशी प्रचालकों” से धनवापसी करवाए जाने की अनुशंसा की गई है । की गई अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :

- क) यात्रा समाप्त होने पर 10 दिन की अवधि के भीतर उपभोक्ताओं को मदवार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए । यदि यात्रा की अवधि 30 दिन से अधिक है तो यात्रा प्रारम्भ होने के पश्चात 30 दिन के क्रम में मदवार बिल का निर्माण किया जाना चाहिए तथा इसे उपभोक्ता को 10 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
- (ख) फर्म द्वारा कम्पनी को डाटा सेवा अथवा वॉयस सेवा अथवा दोनों सेवाओं के मिश्रण के उपयोग का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।
- (ग) पोस्टपेड कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता की अपेक्षाओं के अनुसार क्रेडिट सीमा का निर्धारण किया जाना तथा इसकी जानकारी पारदर्शी स्वरूप में उपभोक्ता को दी जानी चाहिए । क्रेडिट सीमा 70 प्रतिशत तक उपयोग कर लिए जाने की जानकारी ग्राहक को एसएमएस /यूएसएसडी संदेश के माध्यम से दी जानी चाहिए । यदि क्रेडिट सीमा समाप्त हो जाती है तो ग्राहक द्वारा प्रचालक के पास आवश्यक राशि जमा करवाए जाने तक के लिए सेवाएं बाधित कर दी जानी चाहिए ।

3- **भारत संचार निगम लिमिटेड 22 अक्टूबर 2014 को भादूविप्रा से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के संबंध में अंतराल विश्लेषण करने तथा इन द्वीपों में गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपेक्षित निवेश के संबंध में व्यापक दूरसंचार योजना पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । प्राधिकरण द्वारा संबंधित भागीदारों के साथ परामर्श करके "अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार" के संबंध में अपनी सिफारिशें दिनांक 22 जुलाई, 2014 को भिजवा दी गई थी ।**

दूरसंचार विभाग द्वारा इस संबंध में उत्तर देते हुए यह सूचित किया गया है कि भादूविप्रा द्वारा की गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर दूरसंचार आयोग द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए व्यापक दूरसंचार योजना के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान कर दिया है तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए सैटेलाइट बैंडविथ के कार्य तथा इन्ट्रा-आइसलैंड ओएफसी नेटवर्क के संवर्धन कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड को नामांकन आधार पर दिए गए हैं । तदनुसार, दूरसंचार विभाग द्वारा अपने दिनांक 8 फरवरी, 2016 एवं 9 मार्च, 2016 के पत्रों के माध्यम से (क) लक्षद्वीप में सैटेलाइट बैंडविथ में संवर्धन तथा (ख) एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में इन्ट्रा-आइसलैंड ओएफसी नेटवर्क में संवर्धन के विस्तृत लागत अनुमान की प्रति प्रेषित की गई है । दूरसंचार विभाग द्वारा भादूविप्रा से इन परियोजनाओं के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा तैयार की गई तकनीकी अपेक्षाओं एवं विस्तृत लागत अनुमानों के संबंध में विचार मांगे गए हैं ।

इसमें समाहित मुद्दों के परीक्षण के पश्चात भादूविप्रा द्वारा अपना जवाब दिनांक 23 मार्च, 2016 को भिजवा दिया गया है। अपनी प्रतिक्रिया में भादूविप्रा द्वारा इन अपेक्षाओं का पुनः उल्लेख किया गया है कि :

- अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए व्यापक दूरसंचार योजना का प्रमुख घटक पर्याप्त बैंडविध की उपलब्धि है। भादूविप्रा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2014 को की गई सिफारिशों में सबमेरिन केबलों के माध्यम से कनेक्टिविटी की उपलब्धि को महत्व दिया गया है। सबमेरिन केबल डालने के लिए चूंकि संसाधन गहनता एवं अत्याधिक समय अपेक्षित है अतः तत्काल एवं अल्पकालिक समाधान के तौर पर सैटेलाइट बैंडविध में संवर्धन के कार्य किए जाने चाहिए।
- अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघशासित प्रदेशों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना चूंकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए व्यवहार्य वाणिज्यिक कार्य नहीं है अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा इन द्वीपों के लिए दूरसंचार की अवसंरचना के संवर्धन एवं विकास के लिए सर्वव्यापी सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उपयोग के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक प्रयास किए जाने जाएं।
- दूरसंचार विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि क्या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए अनुशंसित की गई व्यापक दूरसंचार योजना पूरी तरह से अनुमोदित की गई है अथवा नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए कोई और देरी किए बिना इन द्वीपों के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए पूरी दूरसंचार संचार योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए।
- विद्यमान दूरसंचार अवसंरचना की उपलब्धि एवं अनुकूलता, उनकी शेष प्रयोज्यता इत्यादि तथा विस्तृत बाधाओं के संबंध में बीओक्यू (बिल ऑफ क्वालिटी) के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाने चाहिए कि इससे प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों में उल्लिखित लक्ष्यों की व्यापक पूर्ति परियोजना (परियोजनाओं) हेतु प्राधिकरण द्वारा लगाए गए लागत अनुमान से अधिक होने पर भी की जा सके।

4. “ब्रॉडबैंड गति / ब्रॉडबैंड गति में वृद्धि की परिभाषा पुनः परिभाषित करने“ के संबंध में दिनांक 24 मई, 2016 को की गई सिफारिशें।

ब्रॉडबैंड की परिभाषा में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता की एक रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण द्वारा देश में ब्रॉडबैंड की परिभाषा में बदलाव लाए जाने के साथ साथ न्यूनतम डाउनलोड गति बढ़ाकर 2 मेगाबाइट प्रति सैकेंड किए जाने की अनुशंसा दूरसंचार विभाग को 24 मई, 2016 को भेजी गई थी।

लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क

1. “ऑडियो कांफेसिंग/ऑडियोटैक्स/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क“ से संबंधित दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 की सिफारिशें।

दूरसंचार विभाग द्वारा भादूविप्रा को वॉयस मेल/ऑडियोटैक्स/एकीकृत मैसेजिंग सेवा तथा विद्यमान लाइसेंसों के परिवर्तन के लिए नियम एवं शर्तों की समीक्षा के लिए लिखा गया है।

प्रौद्योगिकी में आए बदलाव तथा नई यूजर एप्लीकेशनों एवं डिलीवरी सेवाओं की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर वॉयस मेल / ऑडियोटेक्स / एकीकृत मैसेजिंग सेवाओं एवं लाइसेंस स्थितियों के संबंध में तकनीकी विशिष्टताओं, वित्तीय निबंधनों एवं शर्तों, कार्य क्षेत्र एवं दिशानिर्देशों की समीक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई थी ।

भागीदारों द्वारा की गई लिखित प्रस्तुति तथा ऑपन हाउस चर्चा से प्राप्त विभिन्न मामलों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किए जाने के पश्चात 16 दिसम्बर, 2016 को अनुशंसाएं जारी की गई । अनुशंसाओं के प्रमुख आर्कषण निम्नानुसार हैं :-

- एकीकृत लाइसेंस में "ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटेक्स / वॉयस मेल सेवाओं" के शीर्षक नाम से एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए । तथापि, एस्सेस सेवाओं के लाइसेंस प्राधिकार वाले लाइसेंसधारियों को भी इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।
- ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटेक्स / वॉयस मेल सेवाओं के अद्यतन टीईसी विनिर्देश समय समय पर संशोधन अथवा अपडेशन की शर्त के साथ यूएल के अनुशंसित अध्याय में तकनीकी शर्तों के अंतर्गत जोड़े जाने चाहिए । तथापि लाइसेंस की नियम तथा शर्तें तकनीकी विनिर्देशों में किए गए किसी उल्लेख से महत्वपूर्ण होंगी ।
- विद्यमान वॉयस मेल / ऑडियोटेक्स / एकीकृत मैसेजिंग सेवाओं के लाइसेंस ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटेक्स / वॉयस मेल के एकीकृत लाइसेंस के अनुशंसित अध्याय का भाग होने चाहिए । एक से अधिक एस्सेस सेवा प्रदाताओं के संसाधनों से डॉयल आउट सुविधा की अनुमति एसटीडी/आईएसडी ट्रैफिक को बाईपास न किए जाने की शर्त के साथ दी जा सकती है ।
- एस्सेस सेवा प्राधिकार तथा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटेक्स / वॉयस मेल सेवा प्राधिकार के अंतर्गत इन सेवाओं की प्राप्ति के नियम तथा शर्तें समान होनी चाहिए ।
- पीएसटीएन / पीएलएमएन / जीएमपीसीएस / इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क से प्रारम्भ होने वाली कॉल निजी / सीयूजी नेटवर्क से इन्टरकनेक्ट नहीं की जानी चाहिए ।
- एकीकृत मैसेज सेवाओं के लिए स्टैंडएलोन लाइसेंस नहीं होना चाहिए । एकीकृत मैसेज सेवा के लिए एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एस्सेस सेवा प्राधिकार अथवा इंटरनेट सेवा प्राधिकार उपलब्ध किया जा सकता है ।
- ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटेक्स / वॉयस मेल सेवाओं के अनुशंसित अध्याय में एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत सेवा प्राधिकार केवल राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए होना चाहिए । ये सेवाएं किसी भी गैरकानूनी स्वरूप में किसी लाइसेंस प्राप्त एस्सेस सेवा प्रदाता के एसटीडी/आईएसडी ट्रैफिक को बाईपास करते हुए प्रयोग नहीं की जानी चाहिए ।
- एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत अनुशंसित ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटेक्स / वॉयस मेल प्राधिकार के लिए वित्तीय नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होनी चाहिए :

Øe l a	l ok	Ū wre bfDoVh ¼ i, djkm½	Ū wre fuoy l Ei fr ¼ i, djkm½	i zš k 'kŷd ¼ i, djkm½	i hcht h ¼ i, djkm½	, Qcht h ¼ i, djkm½	vlonu i fdz k 'kŷd ¼ i, djkm½
1	ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटैक्स / वॉयस मेल (राष्ट्रीय क्षेत्र)	क्षेत्र	क्षेत्र	0.100	0.100	0.010	0.0015

- अनुशासित ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटैक्स / वॉयस मेल सेवा प्राधिकार के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क वही होना चाहिए जो एकीकृत लाइसेंस में अन्य लाइसेंस प्राधिकारों (जो वर्तमान में समायोजित सकल राजस्व का 8 प्रतिशत जो यूएस कर सहित है जो वर्तमान में एजीआर का 5 प्रतिशत है)
- एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत अनुशासित ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटैक्स / वॉयसमेल सेवा प्राधिकार के लिए एजीआर की परिभाषा एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एस्सेस सेवा प्राधिकार के अनुरूप होनी चाहिए ।
- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2015 को "लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रयुक्ति प्रभार के निर्धारण के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा" को दोहराया गया है ।
- अनुशासित ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियो टैक्स / वॉयस मेल प्राधिकार की अवधि अन्य एकीकृत लाइसेंसों के अनुरूप चौबीस वर्ष की जानी चाहिए ।
- स्टैंडएलोन वॉयस मेल / ऑडियोटैक्स / एकीकृत मैसेज सेवा लाइसेंस समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इस लाइसेंस का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए ।
- विद्यमान वॉयस मेल / ऑडियोटैक्स / एकीकृत मैसेज सेवा लाइसेंसधारियों को अनुशासित ऑडियो कांफ्रेंसिंग / ऑडियोटैक्स / वॉयस मेल प्राधिकार में एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत स्थानांतरण का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए । स्थानांतरण के संबंध में किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए ।
- एकीकरण में स्थानांतरण न करने वाले विद्यमान स्टैंडएलोन वॉयस मेल / ऑडियोटैक्स / यूएसएस लाइसेंसधारियों के लिए वार्षिक लाइसेंस प्रभार भी समायोजित सकल राजस्व के अनुसार 8 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए । एजीआर की परिभाषा भी एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एस्सेस सेवा प्राधिकार के अनुरूप की जानी चाहिए ।
- विद्यमान स्टैंडएलोन वॉयसमेल / ऑडियोटैक्स / यूएमएस लाइसेंसधारियों को विद्यमान लाइसेंस दस्तावेज की धारा 2.1 के अनुसार केवल एसडीसीए के उपभोक्ताओं की प्राप्ति की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया है ।

- बुनियादी सेवा लाइसेंस, यूएसएल अथवा सीएमटीएस के अंतर्गत इन सेवाओं के प्रावधानों की नियम तथा शर्तें भी विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए तथा इन्हें एकीकृत लाइसेंस में ऑडियो कांफ्रेंसिंग/ऑडियोटैक्स/वॉयस मेल सेवा के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप किया जाना चाहिए ।

फ्री डाटा

1. “फ्री डाटा के प्रावधानों से ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा प्रयोग को प्रोत्साहन” देने के संबंध में दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को की गई सिफारिशें ।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को दूरसंचार विभाग के सम्मुख “मुफ्त डाटा के प्रावधानों से ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा प्रयोग को प्रोत्साहन” देने के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं । इन सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है :

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच व्यवहार्यता अंतर भरने तथा डिजीटल माध्यम से नकदी रहित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई है जिसके अंतर्गत, उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण अंशदाताओं को प्रतिमाह 100 एमबी डाटा मुफ्त उपलब्ध किया जाना है ।
- (2) इस योजना के कार्यान्वयन की लागत की भरपाई सर्वव्यापी सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) में से की जानी है ।
- (3) मुफ्त डाटा के संबंध में प्रोत्साहन के लिए अन्य इकाईयों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए योजना को सुसाध्य बनाने हेतु किसी ऐसे तृतीय पक्षकार (समूहक) की आवश्यकता होगी जो टीएसपी के प्रति परमार्थ तथा गैर पक्षपाती कार्यान्वयन में विश्वास रखता हो ।
- (4) मुफ्त डाटा की योजना अनिवार्य रूप से टीएसपी –परमार्थ के लिए होनी चाहिए तथा इसमें टीएसपी एवं समूहक / विषय प्रदाता के मध्य किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए तथा इसका निर्माण दिनांक 8 फरवरी, 2016 को अधिसूचित “डाटा सेवाओं के लिए पक्षपाती मूल्यसूची पर प्रतिबंध” को नाकाम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।
- (5) निम्नलिखित यंत्रव्यवस्था की अनुशंसा की जाती है :
 - समूहक के लिए दूरसंचार विभाग में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा
 - पंजीयक भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी होना अनिवार्य है ।
 - पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष होगी
 - पंजीयक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना पंजीकरण किसी भी स्वरूप में किसी तृतीय पक्षकार को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दिया अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा ।

प्रसारण सेक्टर

1. “भारत में रेडियो श्रवण मापण तथा मूल्यांकन से संबंधित मामलों” के संबंध में दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को की गई सिफारिशों ।

भादूविप्रा द्वारा “भारत में रेडियो श्रवण मापण तथा मूल्यांकन से संबंधित मामलों” के संबंध में दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी । की गई सिफारिशों के प्रमुख आकर्षण निम्नानुसार हैं :-

- एमआईबी द्वारा मूल्यांकन प्रणाली के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए ।
- पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली कोई भी एजेंसी आवेदन कर सकेगी तथा भादूविप्रा के लिए मूल्यांकन कार्य कर सकेगी । मूल्यांकन एजेंसियों के लिए किसी प्रकार की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है ।
- उद्योग नेतृत्व निकायों सहित सभी मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन करना अपेक्षित होगा ।
- मूल्यांकन किए जाने के लिए पंजीकरण, पात्रता मानदंड, कॉस-होल्लिंग, कार्य प्रणाली, शिकायत निवारण, बिक्री एवं मूल्यांकन के प्रयोग, ऑडिट, प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग अपेक्षाएं एवं दंड प्रावधानों के लिए दिशानिर्देश ।
- श्रोताओं सहित मूल्यांकन प्रक्रियाओं के प्रति गुप्तता एवं गोपनीयता के अनुरक्षण उद्योग हेतु स्वैच्छिक आचार संहिता ।
- मूल्यांकन एजेंसियों तथा प्रसारकों / विज्ञापन दाताओं / विज्ञापन एजेंसियों के मध्य '10 प्रतिशत अथवा अधिक इक्विटी धारण' पर प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं ।
- मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की स्थापना ।
- मूल्यांकन एजेंसी द्वारा निर्मित डाटा / रिपोर्टें सभी इच्छुक भागीदारों को पारदर्शी एवं उचित स्वरूप में उपलब्धि ।
- मूल्यांकन एजेंसी द्वारा अपनी समग्र कार्य प्रणाली / प्रक्रियाओं का तिमाही आधार पर आंतरिक ऑडिट एवं वार्षिक आधार पर स्वतंत्र ऑडिट करवाया जाना । सभी ऑडिट रिपोर्टें मूल्यांकन एजेंसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी होंगी ।
- दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए दंड के प्रावधान
- विद्यमान मूल्यांकन एजेंसियों को दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बारह माह का समय दिया जाना ।

III. अन्य मुद्दे

विनियम

(i) “लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016” दिनांक 10 जून 2016

प्राधिकरण ने सभी स्टेकधारकों के साथ परामर्श के बाद, दिनांक 10 जून 2016 को ‘लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2012’ का निरसन करके “लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016” अधिसूचित किया है। लेखा पृथक्करण विनियम 2016 जारी करने का प्रयोजन भारतीय दूरसंचार सेवा में चालू गतिविधियों का अभिग्रहण करना और लेखा पृथक्करण विनियम, 2012 के अंतर्गत अपेक्षाओं/प्रतिवेदन से संबंधित कठिनाइयों/चिंताओं को समाप्त करना था। लेखा पृथक्करण विनियम 2012 की तुलना में लेखा पृथक्करण विनियम 2016 में किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- प्रवेश सेवा (पूर्व परिवर्तनीयता) और प्रवेश सेवा (डब्ल्यूएलएल) का प्रवेश सेवा (बेतार) के रूप में विलय।
- लेखा पृथक्करण विनियम 2016 में, टॉवर कारोबार सेवा, डार्क फाइबर सेवा और केबल लैंडिंग स्टेशन सेवा के लिए प्रथक प्रतिवेदन को समाप्त कर दिया गया है और अब उन्हें अन्य विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवाओं के अधीन अभिग्रहीत कर दिया गया है।
- प्रवेश सेवाओं के अधीन पोस्ट-पेड और प्रीपेड सेगमेंट के लिए पृथक प्रतिवेदन को समाप्त कर दिया गया है।
- प्रतिस्थापन लागत लेखा पर आधारित प्रतिवेदनों के लिए प्रतिवेदन अवधि में एकरूपता लाने के लिए प्रावधान किया गया है।
- प्रतिवेदनों के लिए प्रस्तुति समय को छह महीने से बढ़ाकर सात महीने कर दिया गया है।
- प्राधिकरण ने लेखा पृथक्करण विनियम 2016 पर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जिनमें लेखाकरण पृथक्करण विनियम 2016 के अधिनियम के तहत प्रतिवेदन तैयार करते समय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली वृहत पद्धति और सिद्धांत निहित हैं।

निदेश

(i)d- एकीकृत प्रवेश सेवा प्रदाताओं और सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा नेटवर्क संबंधी मापदंडों के आंकड़ों की वेब-सर्विस के जरिए प्रस्तुति किए जाने के लिए दिनांक 12 जनवरी 2016 का निदेश

(i)k- एकीकृत प्रवेश सेवा प्रदाताओं और सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा नेटवर्क संबंधी मापदंडों के आंकड़ों की वेब-सर्विस के जरिए प्रस्तुति किए जाने के लिए दिनांक 4 अप्रैल 2016 का संशोधन निदेश

दिनांक 12 जनवरी 2016 के निदेश और दिनांक 4 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे, नेटवर्क पैरामीटरों का मास्टर सेल डेटा भादूविप्रा को प्रस्तुत करें, और वेब सर्विस के जरिए दैनिक सेल नेटवर्क पैरामीटर निर्धारित प्रपत्र में भादूविप्रा के सर्वर में डीसीसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करें। इससे भादूविप्रा को नेटवर्क पैरामीटरों पर सूचना अधिक तेजी से सुलभ हो सकेगी।

(ii) ब्रॉडकास्टिंग टीवी सेवा प्रदाताओं के लिए दिनांक 2 फरवरी 2016 का निदेश, टीवी स्क्रीनों पर पूर्ण या आंशिक 'ऑन स्क्रीन डिस्प्ले' के माध्यम से कनेक्शन बंद होने या टीवी चैनलों के बंद होने या उपलब्ध न होने की सूचना प्रदर्शित करने से रोकने के लिए

भादूविप्रा ने दिनांक 2 फरवरी 2016 को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत सभी प्रसारकों, डीटीएच प्रचालकों, एचआईटीएस प्रचालकों, आईपीटीवी प्रचालकों और एमएसओ को टीवी स्क्रीनों पर पूर्ण या आंशिक 'ऑन स्क्रीन डिस्प्ले' के माध्यम से कनेक्शन बंद होने या टीवी चैनलों के बंद होने या उपलब्ध न होने की सूचना प्रदर्शित करने से तुरंत रोकने के लिए निदेश जारी किया है।

(iii) दिनांक 11 फरवरी 2016 का निदेश, बहु प्रणाली प्रचालकों (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स) के लिए

भादूविप्रा ने दिनांक 11 फरवरी 2016 को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत, डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम्स (DAS) के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं मुहैया कराने के लिए पंजीकृत सभी मल्टी सिस्टम प्रचालकों को निदेश दिया है कि वे उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले एसटीबी की आपूर्ति और संस्थापना की विभिन्न स्क्रीमों के संबंध में सूचना अपनी वेबसाइटों पर प्रमुख रूप से प्रकाशित करें और यह निदेश भी दिया है कि वे अपने द्वारा पेश की जाने वाली स्क्रीमों का ब्यौरा दर्शाने वाली अपनी वेबसाइटों का यूआरएल लिंक प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।

(vi) मैसर्स विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (M/s VTL), सभी टीएसपी और एमएनपीएसपी को दिनांक 25 अप्रैल 2016, 6 मई 2016 और 23 जून 2016 के निदेश

स्पैक्ट्रम ट्रेडिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, मैसर्स विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (M/s VTL) ने उनको आवंटित समस्त 1800 MHz स्पैक्ट्रम का उपयोग करने के लिए मैसर्स भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ करार किया। मैसर्स वीटीएल ने प्राधिकरण को सूचित किया कि ये दिनांक 11 मई 2016 से बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं बंद कर देगी।

मैसर्स वीटीएल के ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए भी, कि ग्राहकों को उनके लिए उपलब्ध पोर्टिंग-आउट के विकल्पों के बारे में विधिवत सूचित किया जाए, प्राधिकरण ने मैसर्स वीटीएल, सभी टीएसपी और एमएनपीएसपी को दिनांक 25 अप्रैल 2016, 6 मई 2016 और 23 जून 2016 के निदेश जारी किए। इन निदेशों के माध्यम से यूपीसी जेनरेट करने के लिए अतिरिक्त कोड मुहैया कराए गए और मैसर्स वीटीएल के ग्राहकों के लिए किसी नेटवर्क में नंबर के सक्रियकरण के लिए 90 दिन की शर्त में भी छूट दी गई।

(v) पे चैनलों के प्रसारकों को 9 मई 2016 का निदेश

भादूविप्रा ने दिनांक 9 मई 2016 को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अधीन प्रसारकों को लागत-प्रति-ग्राहक करारों की शर्तों के अनुसार टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराए जाने के समय टैरिफ आदेश, 2004 के उपबंध 3सी और टैरिफ आदेश, 2010 के उपबंध 4 में यथा निर्धारित दोहरी शर्तों के प्रावधान का अनुपालन करने का निदेश जारी किया।

(vi) मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (M/s RCL), सभी टीएसपी और एमएनपीएसपी को दिनांक 20 मई 2016 और 24 जून 2016 के निदेश

मैसर्स आरसीएल ने प्राधिकरण उनके द्वारा धारित स्पैक्ट्रम के उदारीकरण के परिणामस्वरूप अपनी सीडीएमए को बंद किए जाने के बारे में सूचित किया:

- (i) दिनांक 15 मई 2016 से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र (LSAs)
- (ii) दिनांक 31 मई 2016 से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र (LSAs) और
- (iii) दिनांक 6 जुलाई 2016 से तमिलनाडु (चेन्नई सहित), कर्णाटक, केरल और राजस्थान के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र (LSAs)

इन एलएसए में मैसर्स आरसीएल के ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने मैसर्स आरसीएल, सभी टीएसपी और एमएनपीएसपी को दिनांक 20 मई 2016 और 24 जून 2016 के निदेश जारी किए जिनके द्वारा यूपीसी जेनरेट करने के लिए अतिरिक्त कोड मुहैया कराए गए और मैसर्स आरसीएल के ग्राहकों के लिए किसी नेटवर्क में नंबर के सक्रियकरण के लिए 90 दिन की शर्त में भी छूट दी गई।

(vii) अंतरसम्पर्क करार पंजिका के विनियमों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में पे-ब्रॉडकास्टरों मैसर्स सिल्वरस्टार कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड और मैसर्स ई 24 ग्लैमर लिमिटेड के लिए दिनांक 14 जून 2016 का निदेश,

प्रत्येक ब्रॉडकास्टर के लिए अपने पे चैनलों के सिगनल मुहैया कराने से पहले डीपीओ के साथ लिखित अंतर-सम्पर्क करार किया जाना अनिवार्य है। सिल्वरस्टार और ई24 ने अपने चैनलों को पे चैनल घोषित किया है। ये इस आधार पर बिना किसी लिखित अंतरसम्पर्क करार के अपने टीवी चैनलों को सिगनल मुहैया करा रहे थे कि ये डीपीओ से कोई राशि वसूल नहीं कर रहे हैं, यद्यपि इनके चैनल पे चैनल हैं। प्राधिकरण ने सिल्वरस्टार और ई24 को अपने पे चैनलों के लिए लिखित अंतरसम्पर्क करार करने और यह निदेश जारी करने की तारीख से 45 दिन के भीतर ऐसे करार से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(viii) बेसिक मोबाइल सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानदंड विनियम, 2009 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 का निदेश

बेसिक मोबाइल सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानदंड विनियम, 2009 के प्रावधानों और अंतःसम्पर्क से संबंधित लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से, सभी एकीकृत लाइसेंस, यूनीवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस लाइसेंस धारकों, मूल सेवा प्रचालकों को दिनांक 20 मार्च, 2009 के बेसिक मोबाइल सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानदंड विनियम, 2009 का अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

(ix) ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को पर्याप्त सूचना मुहैया कराने के लिए पारदर्शी तरीके से ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए सेवा प्रदाताओं को दिनांक 31 अक्टूबर 2016 का निदेश।

ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को पर्याप्त सूचना मुहैया कराने के लिए पारदर्शी तरीके से ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के मुद्दे के समाधान के लिए, सभी एकीकृत लाइसेंस धारकों, एकीकृत प्रवेश सेवा लाइसेंस धारकों, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस धारकों इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किया गया।

परामर्श

(i) 'टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ के मुद्दों' पर परामर्श पत्र दिनांक 29 जनवरी 2016

दिनांक 29 जनवरी 2016 को 'टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ के मुद्दों' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। यह परामर्श प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के आलोक में सेक्टर के विकास के लिए सहायक वातावरण सृजित करने, बहुविध वितरण मंचों के उभरने, कारोबारी मॉडल तैयार करने और सभी मंचों में संवर्धित संबोधनीयता सृजित करने का एक प्रयास है। मौजूदा परामर्श के उद्देश्य थे:

- मौजूदा टैरिफ व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और सभी डिजीटल ब्रॉडकास्टिंग डिजीटली प्लेटफार्मों (डीटीएच/केबल टीवी/एचआईटीएस/आईपीटीवी) पर थोक और खुदरा स्तर पर 'टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं' के संबोधनीय टीवी वितरण के लिए एक व्यापक टैरिफ संरचना विकसित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ संरचनाएं सामान्यीकृत और यौक्तिकृत हों ताकि समस्त मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों को विवेकरहित टैरिफ संरचनाओं और मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध संरक्षित किए जाते समय उन के पास ब्रॉडकास्ट टीवी सेवाओं में पर्याप्त विकल्प हों।
- टीवी सेक्टर में निवेशों को प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न विधाओं में उच्च गुणवत्ता के उत्पाद को प्रोत्साहित करना।

(ii) 'संबोधनीय प्रणालियों के माध्यम से वितरित टीवी सेवाओं के प्रसारण के लिए इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क' पर परामर्श पत्र दिनांक 4 मई 2016

भादूविप्रा ने दिनांक 4 मई 2016 को 'संबोधनीय प्रणालियों के माध्यम से वितरित टीवी सेवाओं के प्रसारण के

लिए इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क' पर परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करना, सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास में वृद्धि करना, कारोबार करने में सुविधा प्रदान करना, विवादों में कमी लाना, पारदर्शिता और कुशलता में सुधार लाना, धारणीय और व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं को प्रभावी विकल्प मुहैया कराना है।

(iii) 'डिजिटल संबोधनीय प्रणालियों में सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र दिनांक 19 मई 2016

भादूविप्रा ने दिनांक 19 मई 2016 को 'डिजिटल संबोधनीय प्रणालियों में सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र के उद्देश्य हैं:

- क्यूओएस और उपभोक्ता संरक्षण के लिए संबोधनीय टीवी प्लेटफार्मों (डीटीएच/केबल टीवी/एचआईटीएस/आईपीटीवी) के लिए एकीकृत विनियामक ढांचा विकसित करना
- उपभोक्ताओं को सेवाओं के विकल्पों, सेवाओं के नियमों एवं शर्तों के बारे में अवगत कराना, और ग्राहक बनने में सुविधा प्रदान करना।
- शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया को सामान्य बनाना और शिकायतों का तीव्र समाधान।
- प्रसारण सेक्टर के समग्र विकास के लिए व्यवस्थित वृद्धि और समान कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।
- क्यूओएस में सुधार लाने और उपभोक्ताओं के लिए अनुभव की बेहतर गुणवत्ता मुहैया कराने के लिए आधुनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

(iv) 'क्लाउड कम्प्यूटिंग' पर परामर्श पत्र दिनांक 10 जून 2016

भादूविप्रा ने स्टेकधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 10 जून 2016 को 'क्लाउड कम्प्यूटिंग' पर परामर्श पत्र जारी किया। क्लाउड कम्प्यूटिंग में, प्रयोक्ताओं को ऑन-डिमांड के तरीके से सामान्य उपयोगिताओं के रूप में इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर पॉवर और अवसंरचना, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और कारोबारी प्रक्रियाओं जैसे संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। उपभोक्ता एक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कहीं भी और किसी भी समय इन संसाधनों और सेवाओं को प्राप्त करके इनका उपयोग कर सकता है। अंतिम उपभोक्ता उस उपकरण के बारे में अवगत नहीं हो पाता जिसका उपयोग उसे इस सेवा को प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। कारोबारी संसाधन की हिस्सेदार के इस नए आयाम से लाभ प्राप्त करने के लिए अपने कारोबारी मॉडल को अधिकाधिक रीशेप करने की मांग कर रहे हैं।

मुद्दों के सभी पहलुओं को सामने लाने और चर्चाओं के लिए एक उपयुक्त मंच मुहैया कराने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने उद्योग और सभी स्टेकधारकों को विनियोजित करने के लिए यह परामर्श पत्र चलाया। विभिन्न आयामों और क्षेत्रों की जांच करते समय, पत्र में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई:

- क्लाउड कम्प्यूटिंग के लिए विनियामक फ्रेमवर्क
- क्लाउड के ऊपर सुरक्षा कवर

- लागत लाभ विश्लेषण
- क्लाउड सेवाओं की सेवा गुणवत्ता
- क्लाउड प्लेयर्स के बीच अंतःप्रचालनीयता
- भारत आधारित क्लाउड सेवाओं के संकल्पनाकरण और कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना
- प्रचालन के एकाधिक अधिकार क्षेत्रों/क्षेत्रों के लिए कानूनी ढांचा
- सरकारी (केंद्रीय और राज्य/संघ शासित प्रदेश) संगठनों और अन्य रणनीतिक नेटवर्कों में क्लाउड सेवाओं की कार्यान्वयन रणनीतियां

(v) 'भारत में डिजीटल प्रसारण से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र दिनांक 24 जून 2016

भादूप्रिया ने स्टेकधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 24 जून 2016 को 'भारत में डिजीटल प्रसारण से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र जारी किया। यह परामर्श पत्र ऐसे डिजीटल अंतरण के लिए अपनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के दृष्टिगत चल रहे डिजीटाइजेशन के प्रयासों के मूल्यांकन के उद्देश्य से मौजूदा भूभागीय टीवी प्रसारण परिदृश्य की जांच करता है। परामर्श पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- डिजीटल भूभागीय टीवी ट्रांसमिशन / मोबाइल टीवी ट्रांसमिशन में परिवर्तन के लिए एक रोडमैप विकसित करना और सुझाना और साथ ही मौजूदा समवृत्तिक ट्रांसमिशन को बंद करने के लिए समय सीमाएं भी सुझाना।
- देश में अनेक टीवी वितरण मंचों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश में डीटीटी के कार्यान्वयन के लिए संभावित मॉडलों की जांच करना।
- भारत की स्थलीय प्रसारण पारिस्थितिकी में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवहार्यता की जांच करना।
- मौजूदा और भावी डिजीटल स्थलीय प्रसारण सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की उपयोगिता का मौटे तौर पर आकलन करना।

(vi) 'दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अंतः निर्मित प्रवेश' पर परामर्श पत्र दिनांक 6 जून 2016

प्रौद्योगिकीय गतिविधियों से दूरसंचार सेवाओं (बेतार और तार दोनों) की मांग में वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ते शहरीकरण, अर्थात् ग्रामीण आबादी का आर्थिक अवसरों के लिए शहरी क्षेत्रों में जाना, की वजह से शहरी क्षेत्रों पर अवसंरचना विकास के लिए भारी दबाव है। इसलिए, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक ठोस दूरसंचार अवसंरचना अनिवार्य है।

प्राधिकरण ने विगत में अवसंरचना संबंधी अनेक मुद्दों पर काम किया है, तथापि, अंतःनिर्मित प्रवेश से संबंधित मुद्दे ऐसे हैं जिनका सामना अभी भी टीएसपी द्वारा किया जा रहा है। दूरसंचार प्रचालकों को औचित्यपूर्ण नियमों

एवं शर्तों पर कुशल प्रवेश प्राप्त करने में सहायता देने के लिए अंतः निर्मित सुविधाओं के लिए प्रयोज्य ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए, प्राधिकरण ने 'दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अंतः निर्मित प्रवेश' पर दिनांक 6 जून 2016 को स्वतः एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र में, अंतः निर्मित अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

(vii) 'इंटरनेट टेलीफोनी (वीओआईपी)' पर परामर्श पत्र दिनांक 22 जून 2016

सरकार द्वारा अक्टूबर 2007 में जारी आईएसपी लाइसेंसिंग की शर्तों के अधीन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपीएस) को प्रतिबंधित/सीमित तरीके से इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति प्रदान की गई है। आईएसपी के लिए लाइसेंसिंग संबंधी प्रावधानों के अनुसार, पीसी-से-पीसी इंटरनेट टेलीफोनी की कॉल्स अर्थात् बातचीत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विदेश में पीएसटीएम/पीएलएमएन कॉल के लिए पीसी या एडॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है तथापि आईएसपी लाइसेंस के अंतर्गत ऐसे उपकरणों से भारत में पीएसटीएन/पीएलएमएन के लिए इंटरनेट टेलीफोनी कॉल की अनुमति नहीं है। आईएसपी को पीएसटीएम/पीएलएमएन नेटवर्कों के साथ अंतःसम्पर्क रखने की अनुमति भी नहीं है।

मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस-धारकों (यूएसएल), सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस-धारकों को अप्रतिबंधित इंटरनेट टेलीफोनी प्रदान करने की अनुमति देती है। लाइसेंसों में आगे यह भी अनुमति दी गई है कि इंटरनेट टेलीफोनी सेवा मुहैया कराते समय, लाइसेंस-धारक पीएसटीएन/पीएलएमएन/जीएमपीसीएस नेटवर्क के साथ इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि ये लाइसेंस अप्रतिबंधित प्रदान करने के लिए दिए गए थे, देश में यह सेवा आगे नहीं बढ़ी है।

परामर्श पत्र का उद्देश्य इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं मुहैया कराने में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पहचान करके इनका समाधान करना है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं टेलीफोन नम्बरों का आवंटन, अंतः सम्पर्क, अंतः सम्पर्क प्रयाग प्रभार, सेवा की गुणवत्ता और आपात सेवाओं की सुलभता आदि।

(viii) 'सार्वजनिक वाई-फाई के जरिए ब्रॉडबैंड का प्रसार' पर परामर्श पत्र दिनांक 13 जुलाई 2016

भारत में इंटरनेट के प्रवेश का विकास और इसकी सम्पूर्ण संभावना को मूर्त रूप दिया जाना ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार से निकटता से जुड़े हुए हैं। वाई-फाई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सृजित डब्ल्यूएलएन का इस्तेमाल प्रयोक्ताओं के अधिक व्यापक समूह को ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की 'अंतिम मील तक' सम्पर्कता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। वाई-फाई नेटवर्क किफायती, मापनीय और बहुमुखी प्रौद्योगिकियां प्रदान कर सकते हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान इंटरनेट एक्सेस के विस्तार को सुगम बना सकती हैं।

ऐसा महसूस किया गया है कि वाईफाई हॉटस्पॉट देश के कोने-कोने में प्रचुर मात्रा में स्थापित किए जा सकते हैं और ऐसे हॉटस्पॉट दुकान मालिकों और बेरोजगार युवाओं द्वारा स्थापित किए जाने संभव होने चाहिए। ऐसा

मॉडल बहुत हद तक एक पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की तरह काम करेगा, जिसमें फायदा यह होगा कि वाईफाई हॉटस्पॉट का प्रचालक ग्राहक को भौतिक रूप से सेवा प्रदान नहीं कर रहा होगा क्योंकि समस्त संव्यवहार इलैक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे। आईएसपी को भी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि जनता द्वारा अधिक डेटा की खपत की जाएगी। यह मॉडल देश में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा।

परामर्श पत्र का उद्देश्य देश में जनता के दृष्टिकोण से सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्कों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की जांच करना, इसके प्रसार में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा करना और इनका समाधान ढूंढना है।

इस पत्र में, 'सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्कों' का अधिक व्यापक अर्थ है और यह सार्वजनिक स्थानों पर लाइसेंसधारी टीएसपी/आईएसपी द्वारा सृजित वाईफाई हॉटस्पॉट तक सीमित नहीं है। ऐसे छोटे उद्यमी अथवा यहां तक कि कोई बहुत छोटा निकाय भी हो सकता है जो व्यापकतर लोकोपयोग के लिए कॉमन और हिस्सेदारी वाले वाई-फाई नेटवर्क में भागीदारी करने के इच्छुक होंगे।

परामर्श पत्र में सर्वव्यापी शहरी वाईफाई नेटवर्कों के विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ दूर-दराज के अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई नेटवर्क के विस्तार के लिए अपेक्षित विभिन्न विनियामक/लाइसेंस संबंधी या नीतिगत उपायों के मुद्दे उठाए गए। परामर्श पत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के वाईफाई नेटवर्कों के बीच और साथ ही सेल्यूलर और वाईफाई नेटवर्कों के बीच भी इंटरोपेरेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी बैंडों, वाईफाई सुलभ कराने के लिए भुगतान और अधिप्रमाणन प्रक्रिया के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

(ix) 'दूरसंचार क्षेत्र में शिकायत/संताप निवारण' पर परामर्श पत्र दिनांक 28 जुलाई 2016

भादूविप्रा ने दिनांक 28 जुलाई 2016 को 'दूरसंचार क्षेत्र में शिकायत/संताप निवारण' पर परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र में दूरसंचार क्षेत्र में व्यक्तिगत शिकायतों और संतापों के समाधान के मुद्दे पर पुनः चर्चा की गई ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय), कुशल और प्रभावी तरीके से निराकरण किया जा सके। पत्र पर नई दिल्ली में दिनांक 26 अक्टूबर 2016 को एक मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया। भादूविप्रा वर्तमान में इस विषय पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे रहा है।

(x) 'अंतः सम्पर्क प्रयोग प्रभारों' पर परामर्श पत्र दिनांक 5 अगस्त 2016

एक सेवा प्रदाता के ग्राहकों को दूसरे सेवा प्रदाता के ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए एक अंतः सम्पर्क प्रयोक्ता प्रभार (आईयूसी) व्यवस्था एक अनिवार्य अपेक्षा है। अंतः सम्पर्क मुहैया कराने में लागते निहित होती हैं जिनके लिए सेवा प्रदाता को उपयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। आईयूसी व्यवस्था न केवल सेवा प्रदाताओं को प्राप्त राजस्व का निर्धारण करती है बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि इस राजस्व का इनके बीच वितरण कैसे किया जाना है। विभिन्न नेटवर्कों के बीच कुशल और अबाध सम्पर्कता के लिए एक कुशल अंतः सम्पर्क और प्रभारी व्यवस्था केन्द्रित होती है।

प्राधिकरण ने पहली बार वर्ष 2003 में आईयूसी निर्धारित की। इसके बाद, वर्ष 2006, 2009 और 2015 में इन प्रभारों में संशोधन किए जा चुके हैं। मौजूदा समापन प्रभार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं:

कॉल का प्रकार	ट्रैफिक का प्रकार	समापन प्रभार
स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल	वायरलेस से वायरलेस	₹ 0.14 प्रति मिनट
	वायरलेस से वायरलाइन	0 (शून्य)
	वायरलाइन से वायरलाइन	0 (शून्य)
	वायरलाइन से वायरलेस	0 (शून्य)
अंतर्राष्ट्रीय कॉल	वायरलेस और वायरलाइन में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल	₹ 0.53 प्रति मिनट

प्राधिकरण ने इस व्यवस्था की समीक्षा इस तथ्य को देखते हुए की कि देश में अनेक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 4जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक्सेस नेटवर्क स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ टीएसपी निकट भविष्य में वॉयस टू वॉयस ऑवर एलटीई (VoLTE) प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व भर में, इंटरनेट टेलीफोनी (जिसमें ध्वनि सार्वजनिक इंटरनेट से होकर गुजरती है) वॉयस कॉल के लागत-प्रभावी माध्यम के रूप में उभरी है। कुल मिलाकर इन सब गतिविधियों के कारण देश में आईयूसी व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता हुई है। परामर्श पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर भी स्टेकधारकों के सुझाव मांगे गए थे :

- (क) उपभोक्ता कल्याण, अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण और दूरसंचार सेवा क्षेत्र के समग्र विकास को अधिकतम करने के लिए घरेलू समापन प्रभारों (यथा मोबाइल समापन प्रभारों और नियत समापन प्रभारों) को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां और
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा खंड के दीर्घकालीन धारणीय विकास के लिए देश में अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभारों और अंतर्राष्ट्रीय समाधान दरों को निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाली पद्धतियां ।

(xi) 'सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए सेवा मापदंडों की नेटवर्क संबंधी गुणवत्ता की समीक्षा' पर परामर्श पत्र दिनांक 5 अगस्त 2016

2जी और 3जी दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए कॉल ड्रॉप पर सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी को मानकों के माध्यम से की जाती है, यथा 'कॉल ड्रॉप रेट/सर्किट स्विच वॉइस ड्रॉप रेट (मापदंड ≤ 2 प्रतिशत)' और '3 प्रतिशत से अधिक टीसीएच ड्रॉप वाले सबसे बुरी तरह प्रभावित सेल/सर्किट स्विच वॉइस ड्रॉप रेट: सीबीबीएच (मापदंड ≤ 3 प्रतिशत) ।

कॉल ड्रॉप पर सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का आकलन समग्र रूप से सेवा क्षेत्र के लिए किया जाता है। तथापि, अत्यधिक कॉल ड्रॉप वाले सेल्स द्वारा सेवित क्षेत्रों/लोकेशनों की पहचान की जाती है और इनके निष्पादन को मानदंड '3 प्रतिशत से अधिक टीसीएच ड्रॉप वाले सबसे बुरी तरह प्रभावित सेल/सर्किट स्विच वॉइस ड्रॉप रेट: सीबीबीएच' द्वारा कैचर किया जाता है।

भादूविप्रा ने 'सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए सेवा मापदंडों की नेटवर्क संबंधी गुणवत्ता की समीक्षा' पर स्टेकधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए दिनांक 5 अगस्त 2016 को परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र

में 2जी और 3जी नेटवर्कों की सेवा की गुणवत्ता के आकलन के लिए विभिन्न पैरामीटर और संबंधित बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं। स्ट्रेकधारकों के मत इसलिए मांगे गए हैं ताकि इन बेंचमार्कों में सुधार किया जा सके और यदि संभव हो, तो ग्राहकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता के अनुभव में सुधार के लिए, यदि अपेक्षित हो, तो और मापदंड जोड़े जा सकें। नेटवर्क में 4जी/बीडब्ल्यू सेवाओं के विकास के दृष्टिगत इनमें भी संबंधित मापदंड जोड़ने की संकल्पना की गई है। परामर्श पत्र में स्ट्रेकधारकों से यह जानना चाहा है कि सीडीआर के मेटा डेटा विश्लेषण के जरिए कॉल ड्रॉप दरों की गणना के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा रहेगा। इस परामर्श पत्र में मापदंडों से निम्न निष्पादन के मामले में वित्तीय शास्तियां लगाने की व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया है।

(xii) 'प्रसारक टीवी वितरण सेक्टर में अवसंरचना की हिस्सेदारी' पर परामर्श पत्र दिनांक 21 सितंबर 2016

भादूविप्रा ने 'सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए सेवा मापदंडों की नेटवर्क संबंधी गुणवत्ता की समीक्षा प्रसारक टीवी वितरण सेक्टर में अवसंरचना की हिस्सेदारी' पर दिनांक 21 सितंबर 2016 को परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श का उद्देश्य भारत सरकार को डीपीओ द्वारा अवसंरचना की हिस्सेदारी में सहायता हेतु एक नीतिगत ढांचा निरूपित करने के लिए सिफारिशें जारी करना है ताकि अवसंरचना का ईष्टतम उपयोग किया जा सके और सेवा प्रदाताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके और, स्वैच्छिक रूप से अवसंरचना की हिस्सेदारी को सुगम बनाने के उद्देश्य से, केबल टीवी अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों, प्रसारकों/डीपीओ के लाइसेंस/पंजीकरण की शर्तों में किए जाने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों की पहचान की जा सके।

(xiii) प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) (आठवां) (संबोधनीय प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2016 दिनांक 10 अक्टूबर 2016

प्रारूप टैरिफ आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया जिस पर स्ट्रेकधारकों से लिखित टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्रस्तावित टैरिफ संरचना का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण और दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि को सुनिश्चित करते हुए समस्त मूल्य श्रृंखला में अधिक पारदर्शिता, समानता और गैर-पक्षपात लाने के लिए एक सहायक वातावरण सृजित करना है। प्रारूप टैरिफ आदेश में, एक नई टैरिफ संरचना प्रस्तावित की गई है जिसके तहत सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए पर्याप्त विकल्प मुहैया कराए गए हैं।

(xiv) प्रारूप 'सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के मापदंड (डिजीटल संबोधनीय प्रणालियां) विनियम, 2016' दिनांक 10 अक्टूबर 2016

प्रारूप क्यूओएस विनियम दिनांक 10 अक्टूबर 2016 को जारी किए गए थे जिनमें स्ट्रेकधारकों से लिखित टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्रस्तावित क्यूओएस विनियम का उद्देश्य सभी डिजीटल संबोधनीय मंचों यथा डीटीएच, केबल टीवी, आईपीटीवी, एचआईटीएस में क्यूओएस और उपभोक्ता संरक्षण के मापदंडों के लिए सामान्य संरचना निरूपित करना है। प्रस्तावित क्यूओएस विनियम में, ग्राहकों द्वारा ए-ला-कार्टे चैनलों और चैनलों के समूहों की ग्राहक के विकल्प को साधारण बनाया गया है।

(xv) संबोधनीय प्रणालियों के जरिए मुहैया कराई गई टीवी प्रसारण सेवाओं के लिए प्रारूप अंतः सम्पर्क विनियम दिनांक 14 अक्टूबर 2016

प्रारूप अंतः सम्पर्क विनियम दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 को जारी किए गए थे जिनमें स्टेकधारकों से लिखित टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्रस्तावित अंतः सम्पर्क विनियम का उद्देश्य सभी संबोधनीय प्रणालियों नामतः डीटीएच, एचआईटीएस, डीएस और आईपीटीवी के लिए सामान्य अंतः सम्पर्क रूपरेखा निरूपित करना है।

(xvi) 'मशीन-टू-मशीन (एम2एम) संचार में स्पैक्ट्रम, रोमिंग और क्यूओएस संबंधी अपेक्षाओं' पर परामर्श पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2016

भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग (डीओटी) से दिनांक 5 जनवरी, 2016 को एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ के माध्यम से डीओटी ने एम2एम संचार से संबंधित इन तीन पहलुओं पर भादूविप्रा से सिफारिशों मांगी थी:

- क. एम2एम स्पैक्ट्रम संबंधी अपेक्षाएं
- ख. एम2एम रोमिंग संबंधी अपेक्षाएं
- ग. एम2एम सेवाओं में सेवा गुणवत्ता

एम2एम मशीनों के बीच स्वचालित सूचना विनियम का आधार है और यह उद्योग के विभिन्न आयामों, यथा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट वाटर, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट हैल्थ आदि को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार ने एम2एम की संभावना को मान्यता दी है और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में इस पर जोर दिया है।

एम2एम संबंधी मुद्दों पर इस परामर्श पत्र को निरूपित करते समय, डीओटी द्वारा संदर्भ के माध्यम से संदर्भित विनिर्दिष्ट मुद्दों के अतिरिक्त, प्राधिकरण ने महसूस किया कि कतिपय अन्य विनियामक पहलुओं पर भी चर्चा किए जाने की आवश्यकता है जिनमें एम2एम सेवा प्रदाताओं के लिए नीति और लाइसेंसिंग संरचना, विभिन्न नेटवर्क कूटों के कार्यान्वयन, आवंटन और उपयोगिता में अनेक तकनीकी चुनौतियां, डेटा संरक्षण और निजता संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं। इसलिए, इन मुद्दों को भी परामर्श पत्र में शामिल किया गया है।

(xvii) 'अंतः सम्पर्क के लिए विनियामक संरचना की समीक्षा' पर परामर्श पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2016

देश में दूरसंचार सेवा क्षेत्र वर्ष 2002 से अब तक अनेक आर्थिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इन परिवर्तनों से दूरसंचार सेवाओं की प्रकृति और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ बाजार में विद्यमान निकायों की रणनीति में बदलाव आए हैं, और अनेक तरीके से, विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों और सेवाओं में निवेश की मात्रा और चयन भी प्रभावित हुआ है। इनमें से अधिकांश गतिविधियों का प्रभाव टीएसपी के बीच अंतःसम्पर्क के मुद्दे पर पड़ा है। विनियामक द्वारा अंतः सम्पर्क के लिए एक रूपरेखा अनिवार्य बनाया जाना अपेक्षित है, इसे न केवल

सुनिश्चित करना है कि यह रूपरेखा कुशल हो बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बदलती परिस्थितियों को समाहित करने में सक्षम भी हो क्योंकि समयेतर विनियम से बाजार की वृद्धि और नवप्रयोग के अवसर होने का जोखिम रहता है।

इस परामर्श पत्र से, प्राधिकरण एक परामर्शदात्री तरीके से टीएसपी के बीच प्रभावी और तीव्र अंतः सम्पर्क को सुगम बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ अंतः सम्पर्क के लिए मौजूदा विनियामक संरचना की समीक्षा का कार्य आरंभ कर रहा है।

(xviii) 'केप्टिव वीएसएटी सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों' पर परामर्श पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2016

भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग (डीओटी) से दिनांक 16 मार्च, 2016 को एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ के माध्यम से डीओटी ने केप्टिव वीएसएटी सीयूजी नेटवर्क में दूसरे हब के संबंध में न्यूनतम अनुज्ञप्ति शुल्क और केप्टिव वीएसएटी सीयूजी लाइसेंस के नियमों एवं शर्तों पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थीं।

संदर्भ प्राप्त होने के बाद, प्राधिकरण ने कुछ केप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारकों से परामर्श किया, जो रॉयल्टी प्रभाओं की प्रयोज्यता और केप्टिव वीएसएटी के लिए बैंडविड्थ के संवर्धन में अनुमोदनों में विलंब से संबंधित कुछ अतिरिक्त मुद्दे सामने लेकर आए। प्राधिकरण ने स्टेकधारकों के परामर्श के लिए इन मुद्दों को भी शामिल करने का निर्णय लिया, ताकि केप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारकों से संबंधित मुद्दों पर व्यापक सिफारिशें प्रदान की जा सकें।

तदनुसार, दिनांक 28 अक्टूबर 2016 को 'केप्टिव वीएसएटी सीयूजी नीतिगत मुद्दों' पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया जिस पर स्टेकधारकों की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

(xix) 'एक्सेस सेवाओं को बंद करने संबंधी मुद्दों' पर परामर्श पत्र दिनांक 30 नवंबर 2016

समय समय पर लाइसेंस के आवंटन, स्पैक्ट्रम ट्रेडिंग और लाइसेंस के समाप्त होने से संबंधित नीति में बदलावों की वजह से, किसी एक्सेस सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के बंद होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। हाल ही में ऐसे मामले रहे हैं जहां लाइसेंस के समाप्त होने, स्पैक्ट्रम के कारोबार और प्रौद्योगिकी के स्तरोन्नयन की वजह से ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं बंद की गई हैं। इन घटनाओं की वजह से कतिपय मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने, स्वतः इस मुद्दे पर एक परामर्श पत्र लाने का निर्णय लिया।

तदनुसार, दिनांक 30 नवंबर 2016 को 'एक्सेस सेवाओं को बंद करने संबंधी मुद्दों' पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया जिस पर स्टेकधारकों की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

पूर्व-परामर्श

(i) 'सेट टॉप बॉक्स की अंतर-पारस्परिकता (इंटरोपेराबिलिटी)' पर पूर्व-परामर्श पत्र दिनांक 4 अप्रैल 2016

भादूविप्रा ने दिनांक 4 अप्रैल 2016 को 'सेट टॉप बॉक्स की अंतर-पारस्परिकता' पर पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया। भादूविप्रा ने डिजीटल टेलीविजन प्रसारण सेक्टर में इंटरोपेरेबल एसटीबी के विकास से संबंधित मुद्दा उठाया है जो समान प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले सभी प्रचालकों में प्रयोज्य होना चाहिए। एसटीबी की अंतर-पारस्परिकता से उपभोक्ता को, बिना अपना एसटीबी बदले या बिना किसी बड़ी लागत के निहितार्थ के, जब जरूरत हो, अपना केबल टीवी (या डीटीएच) बदलने का अधिकार प्राप्त होगा। इससे सेक्टर का फोकस भी बदलकर उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं मुहैया कराने की ओर जाएगा। एसटीबी की अंतर-प्रचालनीयता के परिणामस्वरूप एसटीबी की लागत में कमी आकर यह खुले बाजार में भी उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही फेंके जाने वाले सेट-टॉप-बॉक्सों की वजह से उत्पन्न होने वाले ई-कचरे की चुनौती का समाधान भी प्राप्त हो सकेगा। खुले बाजार में सेट-टॉप-बॉक्सों की उपलब्धता से सेवा प्रदाताओं का पूंजीगत व्यय कम होगा और उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति में सुधार होगा।

पूर्व-परामर्श पत्र में एसटीबी की अंतर-पारस्परिकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों, चुनौतियों की पहचान, उद्योग की चिंताओं को चिह्नित करने और एसटीबी की तकनीकी अंतर-पारस्परिकता प्राप्त करने की दिशा में एक संभावित समाधान सुझाने का प्रयास किया गया है।

(ii) 'नेट न्यूट्रैलिटी' पर पूर्व-परामर्श पत्र दिनांक 30 मई 2016

भादूविप्रा ने दिनांक 30 मई 2016 को नेट न्यूट्रैलिटी पर स्टेकधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया। यह पूर्व-परामर्श पत्र इन क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों को चिह्नित करने का एक प्रयास है, जिससे भादूविप्रा को नेट न्यूट्रैलिटी के मुद्दे पर नीतिगत या विनियामक हस्तक्षेपों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने मत निरूपित करने में मदद मिलेगी।

तृतीय पक्षकार एप्स/वेबसाइटों के माध्यम से टैरिफ रिचार्ज/भुगतानों पर दिशानिर्देश

हाल ही में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में, थर्ड पार्टी एप्स/वेबसाइटों (इन्हें यहां इसके बाद चैनल पार्टनर कहा गया है) के माध्यम से टैरिफ रिचार्ज/बिलों के भुगतान को संव्यवहार का सुविधाजनक माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया है। तथापि, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) और चैनल पार्टनर (पार्टनरों) के बीच उत्पाद के लांच/संशोधन पर वेबसाइटों/एप्लीकेशनों में सूचना अद्यतन होने में समय के अंतराल की संभावना मौजूद रहती है, जिससे सामंजस्यहीनता उत्पन्न हो सकती है और हो सकता है कि ग्राहकों को अभिप्रेत लाभ प्राप्त न हों। निहित प्रक्रिया और बढ़ते संव्यवहारों की मात्रा को देखते हुए, प्राधिकरण ने, चैनल पार्टनरों या सब चैनल पार्टनरों के माध्यम से टैरिफ रिचार्ज/भुगतान की प्रक्रिया में पादर्शिता, एकरूपता और ग्राहकों को संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए:

- (i) टीएसपी की वेबसाइट और चैनल पार्टनर/सब चैनल पार्टनर की वेबसाइट (वेबसाइटों)/एप्लीकेशन (एप्लीकेशनों) में उपलब्ध टैरिफ उत्पादों की विशेषताओं और उपलब्ध लाभों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। टीएसपी द्वारा एक ऐसा तंत्र लाया जाना चाहिए जहां कोई नया टैरिफ उत्पाद या टैरिफ उत्पाद में कोई परिवर्तन साथ-साथ चैनल पार्टनर (पार्टनरों) की वेबसाइट (वेबसाइटों)/एप्लीकेशन (एप्लीकेशनों) पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
- (ii) चूंकि चैनल पार्टनर/सब पार्टनर गैर-लाइसेंसशुदा निकाय हैं और इनकी नियुक्ति टीएसपी द्वारा टीएसपी और चैनल पार्टनर (पार्टनरों)/सब पार्टनर (पार्टनरों) के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर की जाती है, अतः लाइसेंस करार के नियमों और शर्तों और अन्य विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी उत्तरदायित्व टीएसपी पर बने रहेंगे।
- (iii) कोई भी नया टैरिफ उत्पाद या मौजूदा टैरिफ उत्पाद में कोई बदलाव टैरिफ उत्पाद के लांच या इनमें परिवर्तन की तारीख को केवल मध्यरात्रि (00:00 बजे और 02:00 बजे के बीच) में ही आस्तित्व में लाया जाना चाहिए।

आधार आधारित ई-केवाईसी सेवा

आधार आधारित ई-केवाईसी सेवा के अंगीकरण के संबंध में दिनांक 6 जनवरी 2016 का पत्रव्यवहार

ग्राहक सत्यापन प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और दृढ़ बनाने के उद्देश्य से, यह महत्वपूर्ण है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया (एक छोर से दूसरे छोर तक) पूरी तरह से प्रौद्योगिकी चालित, डिजीटल और कागज रहित होनी चाहिए। यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा मुहैया कराई गई आधार सम्पृक्त ई-केवाईसी सेवा व्यक्ति की पहचान को तत्क्षण स्रोत से ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापित करने का विश्वसनीय और आसान तरीका है। ई-केवाईसी सत्यापन से न केवल पहचान संबंधी धोखाधड़ी और दस्तावेजों की गड़बड़ी का जोखिम कम होगा बल्कि इससे इससे ग्राहक के सत्यापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कागज-रहित भी होगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 6 जनवरी 2016 को दूरसंचार विभाग को, नए मोबाइल ग्राहकों के डिजीटली हस्ताक्षरित, बायोमीट्रिक आधारित सत्यापन के लिए मौजूदा प्रक्रिया की वैध वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में आधार कार्ड आधारित ई-हस्ताक्षर के साथ-साथ आधार आधारित ई-केवाईसी सेवा की स्वीकृति और अंगीकरण की सिफारिश की।

अन्य मुद्दे (दूरसंचार क्षेत्र)

(i) प्रौद्योगिकी संकलन (टेक्नॉलोजी डाइजेस्ट) का प्रकाशन

नई प्रौद्योगिकी निरंतर विकसित हो रही है और इसकी प्रयोज्यता तकनीकी प्रणालियों में पाई जाती है जो एक दूरसंचार नेटवर्क निर्मित करती है। तथापि, दूरसंचार प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रगति के साथ गति बनाए रखना

दूरसंचार से संबंधित अधिकांश पेशेवरों के लिए कठिन हो जाता है। नई प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों की पहचान करना और उद्योग के साथ इन्हें साझा करने के लिए, भादूविप्रा 'टेक्नॉलोजी डाइजेस्ट' नामक एक प्रौद्योगिकी बुलेटिन प्रकाशित कर रहा है जिसमें प्रत्येक मुद्दे में एक प्रौद्योगिकीय पहलू पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आणविक संचार पर टेक्नॉलोजी डाइजेस्ट की तैयारी प्रगति पर है।

(ii) 'भारतीय निजी दूरसंचार प्रवेश सेवा प्रदाताओं की शेयरधारिता का पैटर्न, वित्तपोषण पैटर्न और पूंजीगत संरचना' विषय पर अध्ययन पत्र दिनांक 8 सितंबर 2016

अध्ययन पत्र दिनांक 8 सितंबर 2016 को जारी किया गया था। इस अध्ययन पत्र में 24 निजी दूरसंचार प्रवेश सेवा प्रदाता कम्पनियों की पूंजी संरचना (स्वामियों की इक्विटी और उधार लिए गए/ऋण निधि के रूप में धन का अविनियोजन) का सिंहावलोकन करने का प्रयास किया गया है। यह सूचना इन कम्पनियों के वार्षिक लेखों और इनके द्वारा वर्ष 2012-13 से लेकर 2014-15 तक तीन वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई अन्य सूचना से संकलित की गई है। इस अध्ययन का लक्ष्य सेवाप्रदाताओं की पूंजी संरचना, वित्तपोषण पैटर्न, ऋणग्रस्तता, निवेश और भारत में उपरोल्लिखित दूरसंचार कम्पनियों की लाभप्रदता का परिज्ञान प्रदान करना है। अध्ययन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- (i) शेयर पूंजी में भारतीय प्रवर्तकों की हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 में 55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 71 प्रतिशत हो चुकी है और साथ ही विदेशी प्रवर्तकों की हिस्सेदारी में 7 प्रतिशत की कमी आई है।
- (ii) कुल ऋण वर्ष 2012-13 में 196525 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 258876 करोड़ रुपए हो चुके हैं, ऋण-इक्विटी अनुपात वर्ष 2012-13 में 2.05 गुणा से गिरकर वर्ष 2014-15 में 1.68 गुणा हो चुका है।
- (iii) दूरसंचार सेवा क्षेत्र (प्रवेश सेवाएं) की स्थायी परिसम्पत्तियों (सकल ब्लॉक जिसमें चल रहे पूंजीगत कार्य शामिल हैं) में निधियों के निवेश में वृद्धि हुई है जो स्पष्ट है क्योंकि स्थायी परिसम्पत्तियां वर्ष 2012-13 में 360590 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 505934 करोड़ रुपए हो चुकी हैं।
- (iv) डेटा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि, प्रति ग्राहक स्थायी एमओयू, राजस्व में निरंतर सकारात्मक वृद्धि, लाभप्रदता संकेतकों में सुधार ये सभी 2008 वर्ष 2012 से की अवधि की तुलना में सेक्टर के वित्तीय निष्पादन में बढ़त को इंगित करते हैं।

(iii) केबल लैंडिंग स्टेशन (ओसीएलएस) पर प्रवेश सुविधाकरण प्रभारों और को-लोकेशन प्रभारों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 1 सितंबर 2016 का आदेश

भादूविप्रा ने, अपने दिनांक 12 जुलाई 2016 के पत्र द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशनों के सभी मालिकों (ओसीएलएस) से बीस दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में केबल लैंडिंग स्टेशनों से संबंधित सूचना मुहैया कराने के लिए कहा है।

बीएसएनएल ने अपेक्षित सूचना मुहैया करा दी जबकि शेष 5 ओसीएलएस यथा मैसर्स टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, मैसर्स भारती, मैसर्स सिफी, मैसर्स रिलायंस जियो और मैसर्स आरसीएल ने समय सीमा के भीतर अपेक्षित सूचना मुहैया नहीं कराई। भादूविप्रा ने, अपने दिनांक 3 अगस्त 2016 के पत्र द्वारा, शेष 5 ओसीएलएस को बिना किसी और विलंब के अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का फिर से अनुरोध किया।

चूंकि 5 ओसीएलएस ने बार-बार अनुरोध के बावजूद अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की, अतः प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन 5 ओसीएलएस (मैसर्स टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, मैसर्स भारती, मैसर्स सिफी, मैसर्स रिलायंस जियो और मैसर्स आरसीएल) को सूचना प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। आदेश का अनुपालन प्राप्त हो चुका है।

(iv) हरित दूरसंचार

भादूविप्रा दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकियों पर दूरसंचार विभाग के निदेश के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। इस संबंध में, एनएलडी/आईएलडी/आईएसपी और एक्सेस एसपी के एच-1, वर्ष 2015-16 तक के कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्ट भादूविप्रा में प्राप्त हो चुके हैं।

(v) एमआईएस परियोजना

एमआईएस परियोजना 1 जनवरी 2014 को प्रायोगिक आधार पर लांच की गई थी। इस पोर्टल से विभिन्न रिपोर्टों का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एकत्रण करने और डेटा के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सभी प्रकार की रिपोर्टों और डैशबोर्डों के जनरेशन में मदद मिलेगी। सेवा प्रदाताओं ने एमआईएस पोर्टल के माध्यम से अपने नेटवर्कों से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आरंभ कर दी हैं।

(vi) लेखा परीक्षा और सर्वेक्षण

भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता पर सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की लेखा परीक्षा और मूल्यांकन करने और साथ ही सर्वेक्षण के माध्यम से ग्राहकों के सेवा के प्रति दृष्टिकोण के मूल्यांकन के लिए भी, स्वतंत्र एजेंसियों का विनियोजित किया है।

भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा निष्पादन की गुणवत्ता के संबंध में सूचना, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए सेवा गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और मूल्यांकन और सेवाओं के प्रति ग्राहकों के दृष्टिकोण के बारे में स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों को भी स्टेकधारकों की सूचनार्थ अपनी वेबसाइट के जरिए प्रकाशित भी करता है। सेवा की गुणवत्ता संबंधी सूचना को प्रकाशित करने से सेवा प्रदाता भी अपने सेवा निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने और मानदंडों को पूरा करने में आने वाली खामियों के समाधान करने के लिए विवश होते रहे हैं। सेवा गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और मूल्यांकन के लिए लेखा परीक्षा कार्य दिनांक 1 अक्टूबर 2015 से क्षेत्रीय आधार पर दक्षिणी क्षेत्र के लिए मैसर्स सी एस डेटामेशन, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के लिए मैसर्स आईएमआरबी और 9 सितंबर 2015 को उत्तरी क्षेत्र के लिए मैसर्स फिस्ट्रीम कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को एवार्ड किया गया है। अक्टूबर से दिसंबर 2015 और मार्च 2016 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा कार्य पूरा हो चुका है और इसके परिणाम भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर 2016 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा कार्य किया जा चुका है और इसकी रिपोर्ट के विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है।

दक्षिण क्षेत्र के लिए, जून से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए सर्वेक्षण कार्य मैसर्स स्पैक्ट्रम प्लानिंग लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

(vii) दिनांक 27 सितंबर 2016 का कारण बताओ नोटिस

मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को बेसिक टेलीफोन सेवा (वायलाइन) के सेवा गुणवत्ता के मानदंडों और सेल्यूलर मोबाइल सेवा विनियम, 2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 और एकीकृत लाइसेंस और एकीकृत प्रवेश सेवा लाइसेंस के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

(viii) 'इंटरनेट का उपयोग करते समय अवांछित डाउनलोड और बैकग्राउंड विनिमय' पर दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को हैदराबाद में सेमीनार

भादूप्रिया ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ अकादमिक भागीदारी से 'इंटरनेट का उपयोग करते समय अवांछित डाउनलोड और बैकग्राउंड विनिमय' पर हैदराबाद में एक सेमीनार का आयोजन किया।

(ix) विविध

- (क) एनसीसीपी पोर्टल: ट्राई ने वर्ष 2010 में टीसीसीसीपीआर विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पोर्टल www.nccptrai.gov.in लांच किया है। इस पोर्टल का उपयोग यूसीसी शिकायतों की निगरानी के लिए किया जा रहा है।
- (ख) वीएस संबंधी निदेश के कार्यान्वयन से वीएस संबंधी शिकायतों की संख्या में अत्यधिक कमी (कुल वीएस सक्रियकरणों का 0.21 प्रतिशत) आई है।
- (ग) टेलीमार्केटों पर जुर्माने से आज दिनांक तक 2.78 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है।
- (घ) वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल बनाए जाने का कार्य पूरा किया जा चुका है।

अन्य मुद्दे (प्रसारण क्षेत्र)

(i) इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक आवेदन प्रपत्र (ई-सीएफ) के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीटीएच/एमएसओ/एलसीओ/एचआईटीएस/आईपीटीवी) के लिए दिनांक 5 फरवरी 2016 की परामर्शी

ट्राई ने टीवी प्रसारण सेवाएं मुहैया कराने वाले डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ), नामतः डीटीएच/एमएसओ/एचआईटी/आईपीटीवी प्रचालकों द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक आवेदन प्रपत्र' (ई-सीएफ) के उपयोग के लिए दिनांक 5 फरवरी 2016 को एक परामर्शी जारी की। यह परामर्शी ट्राई द्वारा ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कराने और इनका प्रबंधन करने में संवर्धित कुशलताओं की दिशा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग में

सक्षम बनाने के लिए एक अग्र-सक्रिय उपाय है। सीएएफ में प्राप्त की गई सूचना को बाद में ग्राहक द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं के प्रबंधन के लिए डीपीओ की ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में अंतरित कर दिया जाता है। वर्तमान में सीएएफ का उपयोग कागजी रूप में प्रचलित है और एसएमएस में सूचना अद्यतन करने के लिए मैन्युअल प्रक्रिया अपनाई जाती है। लाखों सीएएफ को संसाधित करना और इनका भंडारण प्रचालनिक कठिनाइयां उत्पन्न कर देता है। ई-सीएएफ में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है और डीपीओ के एसएमएस के साथ एकीकृत किया जा सकता है जिससे सूचना की मैन्युअल फीडिंग का कार्य समाप्त हो जाता है। यह ग्राहकों को सेवाओं सब्सक्राइब करने का अपेक्षाकृत आसान तरीका भी मुहैया कराता है इससे ग्राहकों के साथ संबंध में सुधार होता है, और इनकी ग्राहकी और सेवाओं के प्रबंधन में भी सुधार आता है। ई-सीएएफ से ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कराने और इनके प्रबंधन में कुशलता आएगी। इससे लाखों सीएएफ का भंडारण भी आसान होगा जिसके परिणामस्वरूप प्रचालनिक लागतों में भी कमी आएगी। ई-सीएएफ का अंगीकरण एक पर्यावरण हितैषी उपाय है और इससे सभी स्टेकधाकरों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(ii) 'टीवी चैनलों के सिग्नल एलसीओ को केवल लिखित अंतर-सम्पर्क करार से प्रदान करने' के लिए बहु प्रणाली प्रचालकों को परामर्श

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतर-सम्पर्क (डिजीटल संबोधनीय केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 में अपेक्षा की गई है कि कोई भी बहु प्रणाली प्रचालक किसी भी लिंकड लोकल केबल ऑपरेटर को एमएसओ और एलसीओ द्वारा हस्ताक्षरित अंतर-सम्पर्क करार किए बिना टीवी चैनलों के सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएगा और एमएसओ और एलसीओ द्वारा हस्ताक्षरित अंतर-सम्पर्क करार की एक प्रति एमएसओ द्वारा 15 दिनों के भीतर संबंधित एलसीओ को सौंपी जाएगी और इसकी पावती प्राप्त की जाएगी ।

ट्राई ने एमएसओ और एलसीओ के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले मॉडल अंतर-सम्पर्क करार (एमआईए) और मानक अंतर-सम्पर्क करार (एसआईए)के प्रारूप भी अधिसूचित कर दिए हैं, ताकि एमएसओ और एलसीओ के बीच समान कारोबारी वातावरण और कम विवाद हों। जहां एमआईए एमएसओ और एलसीओ को विनियामक संरचना की तर्ज पर संरचित तरीके से पारस्परिक करार करने में सहायता प्रदान करता है, वहीं एसआईए में विनियम द्वारा निर्धारित मानक नियमों और शर्तों का प्रावधान किया गया है जिन्हें टीवी सिग्नलों की पुनः प्रसारण के लिए एमएसओ और एलसीओ, यदि वे एमआईए पर पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल हों द्वारा अंगीकृत किया जा सकता है।

ट्राई की सूचना में लाया गया है कि कुछ एमएसओ एलसीओ को लिखित अंतर-सम्पर्क करार किए बिना सिग्नल मुहैया कराने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसे करार अंतर-सम्पर्क संबंधी विनियमों के विरुद्ध हैं और इनके परिणामस्वरूप विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं।

तदनुसार, दिनांक 17 अगस्त 2016 को, सभी एमएसओ को सलाह दी गई है कि वे ऐसे व्यवहार/करारों में शामिल होने का जोखिम न उठाएं जिससे वे ट्राई अधिनियम के अधीन दंड के भागी बनें।

(iii) केवल डीएस के अधिसूचित क्षेत्रों में डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डीएस) के माध्यम से टीवी चैनलों के पुनः प्रसारण के संबंध में 48 पे ब्रॉडकास्टर्स और 15 प्रमुख एमएसओ को पत्र

प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए अनिवार्य है कि वे ऐसी तारीख से ऐसे शहरों (क्षेत्रों) में डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के माध्यम से एनक्रिप्टेड रूप में किसी भी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण या पुनः प्रसारण करे जैसा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क की उप-धारा 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार, डीएस में अधिसूचित क्षेत्रों में एनालॉग मोड में टीवी चैनलों का किसी भी प्रकार का प्रसारण या पुनः प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तदनुसार, जैसे ही ट्राई की सूचना में लाया जाता है कि कुछ बहु प्रणाली प्रचालक अभी भी भारत सरकार द्वारा डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डीएस) के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं मुहैया कराए जाने के लिए अधिसूचित किए गए क्षेत्रों में एनालॉग/गैर-एनक्रिप्टेड मोड में टीवी चैनलों के सिग्नल पुनःप्रसारित कर रहे हैं, तो 15 प्रमुख एमएसओ को निदेश दिया गया है कि जहां कहीं भी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में प्रावधान किए अनुसार अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है, उन डीएस अधिसूचित क्षेत्रों में केवल डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के माध्यम से टीवी चैनलों के सिग्नल मुहैया कराया जाना सुनिश्चित करें। पे चैनलों के सभी प्रसारकों को भी निदेश दिया गया है कि वे ऐसे एमएसओ को टीवी चैनलों के सिग्नल मुहैया न कराएं जो बिना किसी कानूनी प्राधिकार के और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए डीएस अधिसूचित क्षेत्रों में एनालॉग/गैर-एनक्रिप्टेड मोड में टीवी चैनलों के सिग्नल पुनः प्रसारित कर रहे हैं।

(iv) 'मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स' और 'लोकल केबल ऑपरेटर्स' के साथ अंतः किया

- (क) 'मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स' और 'लोकल केबल ऑपरेटर्स' के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर द्वारा समन्वित प्रथम अंतः किया दिनांक 15 जून 2016 को बंगलौर में आयोजित की गई।
- (ख) 'मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स' और 'लोकल केबल ऑपरेटर्स' के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा समन्वित द्वितीय अंतः किया दिनांक 27 जुलाई 2016 को लखनऊ में आयोजित की गई।
- (ग.) 'मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स' और 'लोकल केबल ऑपरेटर्स' के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा समन्वित तृतीय अंतः किया दिनांक 12 अगस्त 2016 को आगरा में आयोजित की गई।

(v) विविध

- (क) दिनांक 28 सितंबर 2015 से 27 दिसंबर 2015 की अवधि के लिए समाचार और भुगतान सहित गैर-समाचार चैनलों में व्यवस्ततम अवधि के दौरान विज्ञापनों (वाणिज्यिक और आत्म प्रवर्तक) की प्रति घंटा औसत अवधि से संबंधित डेटा दिनांक 3 मार्च 2016 को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
- (ख) दिनांक 28 दिसंबर 2015 से 27 मार्च 2016 की अवधि के लिए समाचार और भुगतान सहित गैर-समाचार चैनलों में व्यवस्ततम अवधि के दौरान विज्ञापनों (वाणिज्यिक और आत्म प्रवर्तक) की प्रति घंटा औसत अवधि से संबंधित डेटा दिनांक 27 मई 2016 को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

- (ग) दिनांक 28 मार्च 2016 से 26 जून 2016 की अवधि के लिए पे चैनलों में व्यवस्ततम अवधि के दौरान विज्ञापनों (वाणिज्यिक और आत्म प्रवर्तक) की प्रति घंटा औसत अवधि से संबंधित डेटा दिनांक 07 नवंबर 2016 को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
- (घ) दिनांक 28 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में 'डिजीटल संबोधनीय प्रणाली (डीएस) के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए एमएसओ और एलसीओ के बीच आदर्श और मानक अंतर-सम्पर्क करार के प्रारूप से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (ङ) दिनांक 18 मई 2016 को नई दिल्ली में 'भारत में रेडिया श्रोतागण और रेटिंग से संबंधित मुद्दों' से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (च) दिनांक 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में और दिनांक 21 अप्रैल 2016 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में 'टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ के मुद्दों' से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (छ) दिनांक 26 मई 2016 को नई दिल्ली में 'अंतर-सम्पर्क करारों की पंजिका (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) विनियम 2016' से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (ज) दिनांक 13 जुलाई 2016 को 'संबोधनीय प्रणालियों के माध्यम से वितरित टीवी सेवाओं को प्रसारित करने के लिए अंतर-सम्पर्क रूपरेख' से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (झ) दिनांक 28 जुलाई 2016 को 'डिजीटल संबोधनीय प्रणालियों और उपभोक्ता संरक्षण में सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों' से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (ञ) दिनांक 19 अक्टूबर 2016 को 'भारत में डिजीटल स्थलीय प्रसारण संबंधी मुद्दों' से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (ट) दिनांक 19 दिसंबर 2016 को 'प्रसारण टीवी वितरण प्रणाली में अवसंरचनात्मक हिस्सेदारी' से संबंधित परामर्श पत्र पर मुक्त सदन चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।
- (ठ) सी-डीओटी एसटीबी की अंतरसंक्रियता पर काम कर रहा है। अक्टूबर 2016 के महीने के दौरान, सी-डीओटी ने संप्रेषित किया कि इन्होंने अंतरसंक्रिय एसटीबी के लिए रूपरेखा के कार्यान्वयन की दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है।

इसलिए, स्मार्ट बेस्ड एप्रोच पर आधारित अंतरसंक्रिय एसटीबी के लिए रूपरेखा के लिए एक प्रयोगशाला प्रदर्शन दिनांक 24 दिसंबर 2016 को सी-डीओटी बंगलौर में आयोजित किया गया जिसमें ट्राई के सदस्य और प्रधान सलाहकार (बीएंडसीएस) उपस्थित थे। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य अंतरसंक्रिय एसटीबी फ्रेमवर्क और अंतरसंक्रिय एसटीबी की स्मार्ट कार्ड आधारित एप्रोच की प्रायोगिक व्यवहार्यता के विकास पर सी-डीओटी की प्रगति को प्रदर्शित करना था।

अनुलग्नक

उन स्थानों की सूची जहां 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान ग्राहक सम्पर्क कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गईं

Øe l a	LFku
1	शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
2	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
3	भिवानी (हरियाणा)
4	गुवाहाटी (असम)
5	चिदंबरम (तमिलनाडु)
6	इंदौर (मध्य प्रदेश)
7	मांड्या (कर्णाटक)
8	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
9	तिरुपति (आंध्र प्रदेश)
10	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
11	बारीपाड़ा (ओडिशा)
12	पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)
13	पोरबंदर (गुजरात)
14	पलक्काड (केरल)
15	मनाली (हिमाचल प्रदेश)
16	गोंडा (उत्तर प्रदेश)
17	अमृतसर (पंजाब)
18	बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
19	बोधगया (बिहार)
20	सीकर (राजस्थान)

Øe 1 a	LFku
21	शिवाकाशी (तमिलनाडु)
22	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
23	वयानाड (केरल)
24	नारनौल (हरियाणा)
25	रायपुर (छत्तीसगढ़)
26	जैसलमेर (राजस्थान)
27	आईजौल (मिजोरम)
28	मड़गांव (गोवा)
29	नाहन (हिमाचल प्रदेश)
30	गंगटोक (सिक्किम)
31	हरिद्वार (उत्तराखंड)
32	अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)
33	कनिंग (पश्चिम बंगाल)
34	नैनीताल (उत्तराखंड)
35	तिरुवन्नामलाई (अरुणाचलम), तमिलनाडु
36	मोगा (पंजाब)
37	डलहौजी (हिमाचल प्रदेश)
38	नगांव (असम)
39	सांगली (महाराष्ट्र)
40	आदिलाबाद (तेलंगाना)
41	देवघर (झारखंड)
42	धार (मध्य प्रदेश)
43	आणन्द (गुजरात)
44	धारवाड़ (कर्णाटक)

Øe 1 a	LFku
45	फरीदाबाद (हरियाणा)
46	संभलपुर (ओडिशा)
47	बीडर (कर्णाटक)
48	बगलकोट (कर्णाटक)
49	नांदेड़ (महाराष्ट्र)
50	रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
51	गोडग (कर्णाटक)
52	वर्धा (महाराष्ट्र)
53	यवतमाल (महाराष्ट्र)
54	ललितपुर (उत्तर प्रदेश)
55	जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
56	राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
57	मांडला (मध्य प्रदेश)
58	सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
59	ईटावा (उत्तर प्रदेश)
60	देहरादून (उत्तराखंड)
61	सोलन (हिमाचल प्रदेश)
62	पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)
63	सिद्दीपेट (तेलंगाना)
64	ओंगोल (आंध्र प्रदेश)
65	होसुर (तमिलनाडु)
66	बालनगीर (ओडिशा)
67	तिरुवल्लूर (तमिलनाडु)
68	पुरी (ओडिशा)

Øe l a	LFku
69	पानीपत (हरियाणा)
70	दौसा (राजस्थान)
71	गुरदासपुर (पंजाब)
72	गोधरा (गुजरात)
73	फलोडी, जोधपुर (राजस्थान)
74	झज्जर (हरियाणा)
75	तिनसुकिया (असम)
76	रायगंज (पश्चिम बंगाल)
77	बोलपुर (पश्चिम बंगाल)
78	अगरतला (त्रिपुरा)
79	इस्लामपुर (पश्चिम बंगाल)
80	जमशेदपुर (झारखंड)
81	चेन्नई (तमिलनाडु)
82	राजगीर (बिहार)
83	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)
84	मोहाली (पंजाब)
85	फूटुलाओ, जयपुर (राजस्थान)
86	रायसेन (मध्य प्रदेश)



TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली-110 002

दूरभाष : + 91-11-2323 6308

फैक्स : + 91-11-2321 3294

ई-मेल : ap@trai.gov.in

वेबसाइट : <http://www.trai.gov.in>